अध्याय 6

केन्द्र सरकार

सरकार का अर्थ एवं परिभाषा : (Meaning and Definition of Government)

राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त्त एवं अदृश्य संस्था होती है, इसे मूर्त्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं कार्यान्वित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती जो राज्य के निश्चित भू–भाग (Territory) में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है तथा उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को दण्डित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है। गार्नर ने सरकार की परिभाषा करते हुए कहा है– ''सरकार वह अभिकरण या मशीन है, जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है।''

सरकार के प्रमुख तीन अंग निम्नानुसार हैं :– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।

व्यवस्थापिका :–

सरकार के तीन अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग है। भारतीय राज व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी दो स्तर पर हुआ है : (1) संघीय व्यवस्थापिका और (2) राज्य व्यवस्थापिका। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को 'संसद' (Parliament) का नाम दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गयी है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा होंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम 'संसद' है।

लोकसभा की रचना या संगठन

लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।

1. सदस्य संख्या :

मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गयी थी, लेकिन समय–समय पर इसमें वृद्धि की गयी। अब गोआ, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किये जा सकेंगे एवं राष्ट्रपति आंग्ल–भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे।

2. निर्वाचन :

लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र 'एकल–सदस्यीय' रखे गये हैं।

3. सदस्यों के लिए योग्यताएँ :

(i) वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
(ii) उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो।
(iii) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किये हुये हो।
(iv) वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो।

4. कार्यकाल :

लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, ऐसा अब तक 9 बार किया गया है।

5. अधिवेशन :

लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाये और स्थगित किये जाते है और इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की दो बैठकों में 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

6. लोकसभा के पदाधिकारी :

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष : संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाये, परन्तु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि

इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गयी हो। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन तथा भत्ते प्राप्त होंगे।

अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ : भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वे ही अधिकार प्राप्त हैं जो ब्रिटिश लोकसदन (House of Commons) के अध्यक्ष को हैं।

1. अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शान्ति–व्यवस्था और अनुशासन बनाये रखने का कार्य किया जाता है।

2. लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में वाद–विवाद का समय निश्चित करता है।

3. वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समितियों (Select Committees) के सभापतियों को वही नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है।

4. अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं।

5. संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र–व्यवहार उसके ही द्वारा होता है।

राज्यसभा की रचना या संगठन

राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्त्व और उपयोगिता है :

1. सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति :

संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परन्तु वर्तमान समय में यह संख्या 245 ही है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज–सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। राज्य विधानमण्डलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

2. सदस्यों की योग्यताएँ :

राज्यसभा के सदस्यों के लिए वे ही योग्यताएँ हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए हैं। अन्तर केवल यह है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु किन्तु राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक की आयु होना आवश्यक है।

3. सदस्यों का कार्यकाल :

राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और राज्यसभा के एक–तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

4. राज्यसभा के पदाधिकारी :

राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते है– सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है।

संसद के कार्य तथा शक्तियाँ
(Powers and Functions of the Parliament)

संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। संसद की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख अग्रलिखित रूपों में किया जा सकता है :

1. विधायी शक्तियाँ :

संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमण्डल दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। किन्तु इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है।

2. संविधान में संशोधन की शक्ति :

संविधान में संशोधन के सम्बन्ध में संसद को महत्त्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमण्डल में नहीं। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है और संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक–पृथक दोनों सदनों के दो–तिहाई बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान की केवल कुछ ही व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति आवश्यक होती है।

3. वित्तीय शक्तियाँ :

जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष वित्तमन्त्री द्वारा प्रस्तावित बजट (राष्ट्रीय आय–व्यय का लेखा) जब तक संसद (लोकसभा) से स्वीकार न करा लिया जाये उस समय तक आय–व्यय से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा।

4. प्रशासनिक शक्तियाँ :

भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गयी है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिमण्डल संसद (व्यवहार में लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्रिमण्डल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है, जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है।

5. निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ :

अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मण्डल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।

6. विविध शक्तियाँ :

उपर्युक्त के अतिरिक्त संसद को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है :

(क) संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता व दुराचरण के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में दो–तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

(ख) राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए, घोषणा के एक महिने के अन्दर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में छः माह के लिए लागू होता है तथा इसके बाद भी यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता हो तो यह 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है पर उसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होगी।

लोकसभा की शक्तियाँ अथवा अधिकार और कार्य

1. विधायी शक्ति :

संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के सम्बन्ध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते है और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जायेंगे।

2. वित्तीय शक्ति :

भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के सम्बन्ध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गयी है और इस सम्बन्ध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अन्दर–अन्दर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण की शक्ति :

भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गयी है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिमण्डल संसद (व्यवहार में लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्रिमण्डल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।

4. संविधान संशोधन सम्बन्धी शक्ति :

लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन–परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है।

5. निर्वाचक मण्डल के रूप में कार्य :

लोकसभा निर्वाचक मण्डल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं।

राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ

शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है।

1. विधायी शक्तियाँ : लोकसभा के साथ–साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियाँ प्रदान की गई है।

2. संविधान संशोधन की शक्ति : संविधान संशोधन के सम्बन्ध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जायेगा।

3. वित्तीय शक्ति : राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति प्राप्त है यद्यपि इस सम्बन्ध में संविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गयी है। संविधान के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जायेंगे। लोकसभा से स्वीकृत होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जायेंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस

विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। राज्यसभा धन विधेयक के सम्बन्ध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन प्रस्तावों को माने या न माने।

4. कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति : संसदात्मक शासन व्यवस्था में मन्त्रिपरिषद् संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परन्तु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मन्त्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है।

5. विविध शक्तियाँ :

उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है। ये शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार हैं :

(i) राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।

(ii) राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।

(iii) राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है, जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

(iv) राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है।

(v) एक माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पृथक–पृथक अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है।

6. विशेष अधिकार :

राज्यसभा को दो ऐसे अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का सम्बन्ध देश के संघीय ढाँचे से है और राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते अग्र प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं :

(i) अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित कर सकती है। इसके द्वारा उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, राज्यसभा ही अपने दो–तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास कर नयी अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित करने का अधिकार केन्द्र सरकार को दे सकती है।

कार्यपालिका — सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका है।

राष्ट्रपति :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उपबन्ध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् व भारत का महान्यायवादी होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद् कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अन्तर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है।

राष्ट्रपति पद की योग्यताएँ :

संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नांकित योग्यताएँ निश्चित की गयी है :

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।

इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अन्तर्गत पदाधिकारी हो, या लाभ का पद धारण किए हो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता।

राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।

राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of the President)

राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। यह पद्धति इस प्रकार है :

अप्रत्यक्ष निर्वाचन :

राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक–मण्डल द्वारा किया जायेगा, जिसमें

(1) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और

(2) राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संवैधानिक संशोधन (1992) के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

शामिल होंगे–

एकल संक्रमणीय मत पद्धति :

संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा, जिसे 'एकल संक्रमणीय मत पद्धति' (Single Transferable Vote System) कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए 'न्यूनतम कोटा' (Quota) प्राप्त करना आवश्यक होता है। 'न्यूनतम कोटा' निर्धारित करने के लिए निम्नांकित सूत्र अपनाया जाता है।

$$\text{न्यूनतम कोटा} = \frac{\text{दिये गये वैध मतों की संख्या}}{\text{निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या}} \div 1000$$

पदच्युति की पद्धति

महाभियोग (Impeachment) :

भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किन्तु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किये जाने पर संविधान में दी गयी पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। उस पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जायेगा और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाये, तो उसके उपरान्त प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम–से–कम दो–तिहाई बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जावेगा।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions of the President)

अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है : (1) सामान्यकालीन शक्तियाँ, और (2) संकटकालीन शक्तियाँ।

सामान्यकालीन शक्तियाँ अथवा अधिकार

संविधान के द्वारा सामान्यकाल में राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं उनका अध्ययन निम्नलिखित पाँच शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :

1. कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ :

संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, ''संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा।'' इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जायेंगे।

(i) महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति :

राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा विदेशों में राजदूत आदि।

(ii) शासन संचालन संबंधी शक्ति :

इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाये जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है।

(iii) वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति :

भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण–पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से सन्धियाँ और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं।

(iv) सैनिक क्षेत्र में शक्ति :

राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किन्तु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शान्ति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है।

2. विधायी शक्तियाँ :

भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है और इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त हैं :

(i) विधायी क्षेत्र का प्रशासन :

राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब तक 9 बार लोकसभा को समय पूर्व भंग किया

जा चुका है। संसद के अधिवेशन के प्रारम्भ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है।

(ii) सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति :

राष्ट्रपति को राज्य सभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गयी हो। वह लोकसभा में 2 आंग्ल–भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।

(iii) विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग :

संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी।

(iv) अध्यादेश जारी करने की शक्ति :

जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारम्भ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है।

3. वित्तीय शक्तियाँ :

राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवायेगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान माँगें लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती।

4. न्यायिक शक्तियाँ :

संविधान में ''न्यायपालिका की स्वतन्त्रता'' के सिद्धान्त को अपनाया गया है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्त्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अन्तर्गत दण्ड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दण्ड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है।

संकटकालीन अधिकार : उद्घोषणा, प्रभाव एवं व्यवहार में उपयोग

संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गयी है। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति निम्न प्रकार है :

1. युद्ध, बाहरी आक्रमण या आन्तरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था–

उद्घोषणा की विधि :

मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आन्तरिक अशान्ति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शान्ति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता था। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा दो माह तक लागू रहती और संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहता, रख सकता था। 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था निम्न प्रकार है :

प्रथम, अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आंशका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आन्तरिक अशान्ति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता।

द्वितीय, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी, जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे।

तृतीय, घोषणा के एक माह के अन्दर संसद के विशेष बहुमत (पृथक–पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत) से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी।

चतुर्थ, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है।

2. राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था–

उद्घोषणा की विधिः–

अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है कि राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह उस राज्य के लिए संकटकाल की घोषणा कर सकता है।

संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा दो माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग–अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में तीन वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू

नहीं रखा जा सकेगा।

3. वित्तीय संकट–उद्घोषणा की विधि :

अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाये कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है, जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है।

उपराष्ट्रपति (Vice-President)

निर्वाचन : भारतीय संविधान के 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गयी है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है और यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। इस पद के उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक है : (1) वह भारत का नागरिक हो, (2) उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, (3) उसमें वे सब योग्यताएँ पायी जायें जो संविधान द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गयी हों।

पदच्युति :

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किन्तु वह स्वेच्छा से त्यागपत्र द्वारा इस अवधि के पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है अथवा उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किये गये प्रस्ताव से जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पदच्युत भी किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक है।

उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य : उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार है

1. राज्यसभा का पदेन सभापति :

उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चूंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है, परन्तु यदि विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों, तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति का यह सबसे प्रमुख कार्य है।

2. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना :

उपराष्ट्रपति निम्न चार स्थितियों में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है :– (i) राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, (ii) राष्ट्रपति के त्यागपत्र दे देने पर, (iii) महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पदच्युति पर, (iv) अन्य किसी कारण से उत्पन्न राष्ट्रपति की असमर्थता की स्थिति में जैसे रोग या विदेश यात्रा।

प्रधानमंत्री (Prime Minister)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति :

संविधान में उपबन्धित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है, जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विवेक का प्रयोग कर सके।

प्रधानमंत्री – कार्य, शक्तियाँ एवं अधिकार (Functions and Powers of the Prime Minister)

संसदात्मक शासन व्यवस्था के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ही संविधान भवन रूपी वृत्तखण्ड की मुख्य शिला होता है।

1. मंत्रिपरिषद् का निर्माण :

अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करता होता है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अन्तर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद् में कितने मन्त्री हों और कौन–कौन मन्त्री हों?

2. मन्त्रियों में विभागों का बँटवारा और परिवर्तन :

मन्त्रियों में विभागों का बँटवारा करते समय भी प्रधानमंत्री स्वविवेक के अनुसार ही कार्य करता है और प्रधानमंत्री द्वारा किये गये अन्तिम विभाग वितरण पर साधारणतया कोई आपत्ति नहीं की जाती है।

3. मन्त्रिपरिषद् का कार्य–संचालन :

प्रधानमंत्री मन्त्रिमण्डल की बैठकों का सभापतित्व और मन्त्रिमण्डल की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। मन्त्रिपरिषद् की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यसूची या 'एजेण्डा' में रखे।

4. शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय :

प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके।

5. लोकसभा का नेता :

प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतया लोकसभा का, नेता होता है और कानून निर्माण के समस्त कार्य में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार ही तैयार किये जाते हैं।

6. राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल के बीच सम्बन्ध स्थापितकर्ता :

सार्वजनिक महत्त्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। वही राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल के निश्चयों से परिचित कराता है और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमण्डल तक पहुंचाता है।

7. विभिन्न पद प्रदान करना :

संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति

राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं वरन् प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है।

मन्त्रिपरिषद् (Council of Ministers)

मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबन्धित है कि ''राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।'' सैद्धान्तिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गयी है और राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था की गयी है, लेकिन संविधान द्वारा अपनायी गयी संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक–मात्र है और वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त सत्ता 'सहायता और परामर्श देने वाली समस्त शक्तियां मंत्रिमण्डल में निहित हैं।

मंत्रिपरिषद का गठन

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जायेगी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।

2. प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन :

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है।

3. मंत्रियों में कार्य–विभाजन :

मंत्रिपरिषद् के गठन के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा इससे अधिक कठिन कार्य उनके बीच विभागों के विभाजन का किया जाता है। वैधानिक दृष्टि से इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है।

4. मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएँ :

मंत्रिपरिषद् का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अन्दर–अन्दर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे अपना पद छोड़ना होगा।

5. मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण :

पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की दो शपथ लेनी होती है।

6. मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल :

मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मंत्रिपरिषद् तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद् अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतया 5 वर्ष होता है, अपने पद पर बनी रहती है।

7. मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते :

प्रधानमंत्री, केबीनेट के सदस्यों, राज्यमंत्रियों तथा उपमंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिये जाने का प्रावधान है, जिनका निर्धारण समय–समय पर संसद द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क निवास स्थान, वाहन तथा अन्य सुविधाएँ प्राप्त होती है।

8. मंत्रियों की श्रेणियाँ (मंत्रिपरिषद् तथा मंत्रिमण्डल या केबिनेट) :

मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ होती है : मंत्रिमण्डल या केबिनेट के सदस्य, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री। प्रथम श्रेणी के मंत्री केबिनेट सदस्य होते हैं जो कि भारत की संसदात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। केबिनेट के सदस्य एक या अधिक विभागों के प्रधान होते है। दूसरी श्रेणी में राज्यमंत्री आते हैं जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री तथा उपमंत्री के बीच की होती है। ये विशेष विभागों से सम्बन्धित रहते हैं और कभी–कभी उनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को केबिनेट की उन बैठकों में आमन्त्रित किया जाता है, जिनमें उनके विभाग से सम्बन्धित प्रश्न विचाराधीन होते हैं।

राज्यमंत्री के बाद उपमंत्री की श्रेणी आती है जो किसी ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं।

मंत्रिमण्डल की शक्तियाँ (Powers of the Cabinet)

संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि ''मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति को उसके कार्यो के सम्पादन में सहायता और परामर्श देगी।'' किन्तु यह परम्परागत शब्दावली है और जहाँ तक व्यवहार का सम्बन्ध है, मन्त्रिमण्डल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और उसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वास्तव में, राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग, मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है और इसे **'भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय'** कहा जाता है।

1. राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना :

मन्त्रिमण्डल का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मन्त्रिमण्डल यह निश्चित करता है कि आन्तरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनायी जायेगी।

2. कानून निर्माण पर नियन्त्रण :

संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मन्त्रिमण्डल का कार्यक्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है वरन् इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। मन्त्रिमण्डल

द्वारा नीति निर्धारित कर दिये जाने के बाद उसके द्वारा ही विधि निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है और मन्त्रिमण्डल के सदस्य ही महत्त्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते है।

3. राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियन्त्रण :

सैद्धान्तिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मन्त्रिमण्डल के द्वारा किया जाता है। मन्त्रिमण्डल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते है। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यो की देखभाल करते हैं।

4. वित्तीय कार्य :

देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मन्त्रिपरिषद् का होता है। इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के सम्भावित आय–व्यय का ब्यौरा (बजट) प्रस्तुत किया जाता है। बजट मन्त्रिमण्डल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्तमंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मन्त्रिमण्डल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है।

5. वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन :

भारत के वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन मन्त्रिमण्डल के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा युद्ध तथा शान्ति सम्बन्धी घोषणाएँ की जाती है और इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किये जायें।

6. नियुक्ति सम्बन्धी कार्य :

संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मन्त्रिमण्डल के द्वारा ही की जाती है।

भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। विपक्ष सत्ता पक्ष को नियंत्रित करने एवं शासन व्यवस्था को संविधान के अनुसार संचालित करने के लिए निम्नलिखित साधनों द्वारा सरकार को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है।

न्यायपालिका

सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका है।

सर्वोच्च न्यायालय का गठन

1. न्यायाधीशों की संख्या :

मूल रूप में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गयी थी और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्ते निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया था। 2008 में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है, जिनसे वह इस सम्बन्ध में परामर्श लेना आवश्यक समझता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है। जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों को एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते है व राष्ट्रपति इन्हीं नामों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते है।

3. न्यायाधीशों की योग्यताएँ :

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है :

(अ) वह भारत का नागरिक हो।

(ब) वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम–से–कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो।

या

किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate) रह चुका हो।

या

राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो।

4. कार्यपालिका तथा महाभियोग :

साधारणतया सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन अलग–अलग अपने कुल सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से इसको अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते है तो भारत के राष्ट्रपति आदेश से उस न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा।

5. वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें :

मुख्य न्यायाधीश को एक लाख रूपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रूपये मासिक वेतन मिलता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति पेंशन (ग्रेच्युटी) की व्यवस्था भी है। वेतन एवं भत्ते समय–समय पर संशोधित होते हैं।

6. उन्मुक्तियां :

न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों व निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है।

7. न्यायालय का मुख्य स्थान :

अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है।

8. न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध :

संविधान में यह निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, वे पद से निवृत्ति के बाद भारत में किसी न्यायालय या किसी भी अधिकारी से सामने वकालत नहीं कर सकते है।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ तथा कार्य (Jurisdiction of Powers and Functions of The Supreme Court)

भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है जिसका अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है :

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार :

सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित दो वर्गो में रखा जा सकता है :

(क) प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार : प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से है, जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निम्न विषय आते हैं :

भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद,

भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद,

दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के सम्बन्ध में उत्पन्न कोई विवाद।

(ख) प्रारम्भिक समवर्ती क्षेत्राधिकार : संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है। अतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित जो विवाद हैं, वे चाहे तो पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में और चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किये जा सकते है।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार :

सर्वोच्च न्यायालय को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के साथ–साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है और यह भारत का अन्तिम अपीलीय न्यायालय है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न चार वर्गो में विभाजित किया जा सकता है : संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी व विशिष्ट।

(क) संवैधानिक : संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित कानून का कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है।

(ख) दीवानी : इस सम्बन्ध में मूल संविधान के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी जिसमें विवादग्रस्त राशि 20,000 रुपये से अधिक हो, किन्तु 1973 में हुए 30वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 133 को संशोधन कर उक्त धनराशि की सीमा (20,000) हटाते हुए अब यह निश्चित किया गया है कि सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी।

(ग) फौजदारी : फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिनमें (1) उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्यु–दण्ड दे दिया हो, जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध–मुक्त कर दिया था, या (2) उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्य–दण्ड दे दिया हो, या (3) उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है।

(घ) विशिष्ट : कुछ ऐसे मामले हो सकते है जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते लेकिन जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। अतः अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमण्डल (Tribunal) के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे।

3. अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार :

संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। उसकी इस शक्ति पर कोई संवैधानिक प्रतिबन्ध नहीं है।

4. परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार :

संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है, जो सार्वजनिक महत्त्व का है तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श माँग सकता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होगा।

5. अभिलेख न्यायालय (Court of Record) :

अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायलय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं : प्रथम, इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किये जायेंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। द्वितीय, इस न्यायालय के द्वारा 'न्यायालय अवमानना' (Contempt of

Court) के लिए किसी भी प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है।

6. मौलिक अधिकारों का रक्षक :

भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है।

7. संविधान का संरक्षण–न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति (Guardian of the Constitution-Power of Judicial Review) :

संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के सरंक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया है जिसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता की जाँच करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। यदि संघीय संसद या राज्य विधानमण्डल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निर्माण करते हैं तो संघीय संसद या राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को 'न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति' कहा जाता है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को 'संसद' का नाम दिया गया है। संसद के निम्न तीन अंग है :

(1) राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका का प्रधान है, और इसकी कानून निर्माण के क्षेत्र में भी भूमिका है।

(2) लोकसभा– जो प्रथम या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन है।

(3) राज्यसभा, जो द्वितीय अर्थात् उच्च सदन या वरिष्ठ सदन है।

- लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है।
- संविधान लागू किये जाने के समय से ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही है।
- लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है।
- लोकसभा के दो पदाधिकारी है : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिनका चुनाव लोकसभा स्वयं ही करती है।
- राज्यसभा : राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।
- कार्यकाल : – राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत हो जाते हैं।
- राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते है : सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
- संसद के कार्य और शक्तियाँ : विधायी शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियां, निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ और विविध शक्तियाँ।
- संघीय कार्यपालिका के अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् और भारत का महान्यायवादी आते है।
- राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है।
- राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है।
- भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है।
- राष्ट्रपति के अधिकार अथवा शक्तियाँ : 1. सामान्य कालीन शक्तियां, और 2. संकटकालीन शक्तियां।
- उप–राष्ट्रपति : उप–राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। कार्यकाल 5 वर्ष।
- उप–राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य : राज्यसभा का पदेन सभापति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना।
- संघीय मंत्रिपरिषद् : संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद् में निहित होती है।
- मंत्रिपरिषद् की रचना या गठन : राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों में कार्य विभाजन।
- मंत्रियों की श्रेणियाँ : तीन श्रेणियाँ : मंत्रिमण्डल या केबीनेट के सदस्य, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री। केबीनेट (मंत्रिमण्डल) मंत्रिपरिषद् की आन्तरिक और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समिति है।
- मंत्रिमण्डल की शक्तियाँ और कार्य : सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय नीति का निर्धारण समन्वयकारी कार्य, वित्तीय कार्य, वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन, नियुक्ति सम्बन्धी कार्य, अन्य कार्य।
- प्रधानमंत्री : प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।
- सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्त्व : संविधान का रक्षक, संघात्मक व्यवस्था का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक।
- सर्वोच्च न्यायालय का गठन : वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है।

● सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ तथा कार्य :

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (क) प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार (ख) प्रारम्भिक समवर्ती क्षेत्राधिकार
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार : संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट
3. अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार,
4. अभिलेख न्यायालय,
5. मौलिक अधिकारों का रक्षक,
6. संविधान का संरक्षक, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति।

अभ्यास प्रश्न

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है?
2. राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है?
3. राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
4. केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता कौन करता है?
5. संसद के सत्रावसान में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है, उसे क्या कहते हैं?
6. किस बात के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
7. कम से कम कितने समय तक उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुके भारतीय नागरिक को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है?
8. एक बार नियुक्त हो जाने पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है?
9. 'अभिलेख न्यायालय' का आशय क्या है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. उप राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति समझाए।
2. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में कौन–सी योग्यताएँ आवश्यक है?
3. राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है?
4. राष्ट्रपति संविधान के कौन–कौन से अनुच्छेदों के अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है?
5. राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य और राज्य विधानसभा एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया जाता है?
6. उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
7. दीवानी और फौजदारी मुकदमे किस स्थिति में अपील के रूप में उच्चतम न्यायालय में सुने जा सकते हैं?
8. उच्चतम न्यायालय को एक 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) क्यों कहा जाता है?
9. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश किसके द्वारा और कैसे हटाये जा सकते है?
8. 'न्यायिक पुनर्विलोकन' का महत्त्व स्पष्ट कीजिये।

निबन्धात्मक प्रश्न :

1. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए।
2. राष्ट्रपति की सामान्य काल में शक्तियों तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए।
3. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए।
4. मंत्रिमण्डल के गठन एवं उसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए।
5. उच्चतम न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों का वर्णन कीजिए।
6. उच्चतम न्यायालय के संगठन तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।

अध्याय 7

राज्य सरकार

राज्य विधानमण्डल का गठन एवं कार्य

संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल की व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों से तथा कुछ में एक सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में दो सदन होंगे, उनके नाम क्रमशः विधानसभा और विधानपरिषद् होंगे। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। विधानमण्डल के इस सदन को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमण्डल का दूसरा सदन है, उसे 'विधानपरिषद्' कहते हैं। राज्यों के विधानमण्डल एकसदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को ही है। वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 7 राज्यों– उत्तर–प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगांना–में द्विसदानात्मक व्यवस्थापिका व शेष राज्यों में एकसदनात्मक व्यवस्थापिका है।

द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले इन सात राज्यों में राज्य विधानमण्डल के निम्नांकित तीन अंग है :

1. राज्यपाल
2. विधानसभा (Lagislative Assembly) जिसे प्रथम या निम्न सदन कहते है।
3. विधानपरिषद (Lagislative Council) जिसे द्वितीय या उच्च सदन कहते है।

विधानसभा का गठन

विधानसभा विधानमण्डल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है।

1. सदस्य संख्या :

संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75 हजार जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे।

2. स्थान आरक्षण (Reservations) :

राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था (95वें संवैधानिक संशोधन, 2009) के अनुसार जनवरी 2020 ई. तक के लिए है।

राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल–भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है।

3. निर्वाचन पद्धति :

आंग्ल–भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुनाव होता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा 'साधारण बहुमत की पद्धति' अपनायी गयी है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल–सदस्यीय हैं।

4. सदस्यों की योग्यताएँ :

विधानसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए :

1. वह भारत का नागरिक हो,
2. उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो,
3. वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किये हुए न हो,
4. वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो,
5. वह संसद या राज्य के विधानमण्डल द्वारा निर्धारित शर्तो की पूर्ति करता हो।

सदस्यों की सदस्यता का अंत : विधानमण्डल के दोनों सदनों की सदस्यता का अंत निम्न में से किसी भी परिस्थिति में हो जाता है:

1. कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमण्डलों के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो उसे एक सदन से

त्यागपत्र देना होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमण्डल और संसद, दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है।

2. कोई भी सदस्य यदि विधानमण्डल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है।

3. यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती है या उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है।

5. कार्यकाल :

राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। परन्तु यदि संकटकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा किसी भी अवस्था में संकटकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा।

6. पदाधिकारी : प्रत्येक राज्य की विधानसभा के दो मुख्य पदाधिकारी होते है: (1) अध्यक्ष **(Speaker)** और, (2) उपाध्यक्ष **(Deputy Speaker)**। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है किन्तु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष (जिसके विरुद्ध प्रस्ताव हो) को देना आवश्यक है।

अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य (Powers and Functions of the Speaker) :

विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य निम्न हैं :

1. वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।

2. सदन में शांति और व्यवस्था बनाये रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व है तथा इस हेतु उसे समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार है।

3. सदन का कोई सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है।

4. वह सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट हैं।

5. सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित कर सकता है।

6. वह प्रश्नों को स्वीकार करता या नियम–विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है।

7. वह मतदान पश्चात् परिणाम की घोषणा करता है।

8. सामान्य परिस्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आयें, तो वह 'निर्णायक मत' (Casting Vote) का प्रयोग करता है।

9. कोई विधेयक 'धन–विधेयक' (Money Bill) है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है।

10. दल–बदल सम्बन्धी याचिकाओं पर निर्णय देता है।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का सम्पादन उपाध्यक्ष करता है।

विधानपरिषद् का गठन

विधानसभा को विधान परिषद् की उत्पत्ति (सृजन) तथा समाप्ति (उन्मूलन) के लिए संसद से सिफारिशें करने का अधिकार है। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के दो–तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद् का सृजन अथवा समाप्ति के लिए कानून बनायेगी।

1. सदस्य संख्या :

राज्य के विधानमण्डल का द्वितीय या उच्च सदन विधानपरिषद् होता है। संविधान में व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक राज्य की विधानपरिषद् के संदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, पर साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू–कश्मीर को इस सम्बन्ध में अवश्य ही अपवाद रखा गया है।

2. सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन :

विधान परिषद् के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है तथा शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद् के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होंगे। निम्नलिखित निर्वाचक मण्डल विधानपरिषद् के सदस्यों का चुनाव करते हैं।

स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मण्डल :

समस्त सदस्यों का यथाशक्य निकटतम एक–तिहाई उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है, जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे।

विधानसभा का निर्वाचक मण्डल : कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक–तिहाई सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते है जो विधानसभा के सदस्य न हों।

स्नातकों (Graduates) का निर्वाचक मण्डल : यह ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचक मण्डल होता है जो उस राज्य में रहते हो, जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो और जिन्हें यह परीक्षा पास किये तीन वर्ष से अधिक हो चुके हों, यह निर्वाचक मण्डल कुछ सदस्यों के यथाशक्य निकटतम 1/12 भाग को चुनता है।

अध्यापकों का निर्वाचक मण्डल : इसमें वे अध्यापक होते हैं, जो राज्य के अन्तर्गत किसी माध्यमिक विद्यालय या इससे उच्च शिक्षण संस्था में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। यह निर्वाचक मण्डल कुल सदस्यों का यथाशक्य निकटतम 1/12 भाग को चुनता है।

(v) राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य : उपर्युक्त प्रकार के कुल सदस्य संख्या के लगभग 5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता है, शेष अर्थात् कुल संख्या के लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किये जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हों।

3. सदस्यों की योग्यताएँ :

विधानपरिषद् की सदस्यता के लिए वे ही योग्यताएँ हैं जो विधानसभा की सदस्यता के लिए है, अन्तर केवल यह है कि विधानपरिषद् की सदस्यता के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए।

निर्वाचक मण्डलों द्वारा विधानपरिषदों के सदस्यों का यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। विधानसभा के निर्वाचक मण्डल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मण्डल संसद कानून द्वारा निश्चित करती है।

4. कार्यकाल :

विधानपरिषद् इस दृष्टि से स्थायी है कि पूरी विधानपरिषद् कभी भी भंग नहीं होती और उसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता। विधानपरिषद् के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति दो वर्ष के पश्चात् एक–तिहाई सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं, और उनके स्थान के लिए नये निर्वाचन होते हैं।

5. पदाधिकारी :

विधानपरिषद् अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। विधानपरिषद् को इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार है।

विधानपरिषद् के अधिकार अथवा शक्तियाँ तथा कार्य

विधानपरिषद् के अधिकार तथा कार्यों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है।

1. कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य :

धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात् विधानपरिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद् विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते या परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से तीन माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधानपरिषद् को भेजती है। यदि परिषद् विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से एक माह बाद तक विधेयक पास नहीं करती या परिषद् विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते तो विधेयक विधानपरिषद् द्वारा पारित किये जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस प्रकार विधानपरिषद् किसी साधारण विधेयक को केवल चार माह तक रोक सकती है। विधानपरिषद् किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती।

2. कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य :

विधानपरिषद् के सदस्य मंत्रिपरिषद् के सदस्य हो सकते हैं। विधानपरिषद् प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद–विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद् को नियंत्रित कर सकती है, किन्तु उसे मंत्रिपरिषद् को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल विधानसभा के ही द्वारा किया जा सकता है।

3. वित्त सम्बन्धी कार्य :

संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं, विधानपरिषद् में नहीं। विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधानपरिषद् के पास भेजती है तो विधानपरिषद् 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती है, तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों से पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था।

राज्य विधानमण्डल या राज्य विधानसभा की शक्तियाँ और कार्य

राज्य विधानमण्डल राज्य की व्यवस्थापिका है और संविधान के द्वारा राज्य विधानमण्डल को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी है। राज्य विधानमण्डल की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है :

1. विधायी शक्ति :

राज्य के विधानमण्डल को सामान्यतया उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची में और समवर्ती सूची में दिये गये हैं।

साधारण विधेयक राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं किन्तु इसके सम्बन्ध में अन्तिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है।

2. वित्तीय शक्ति :

विधानमण्डल, मुख्यतया विधानसभा को, राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। आय–व्यय का वार्षिक लेखा (बजट) विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय–व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। विधानमण्डल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है।

3. प्रशासनिक शक्ति :

संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित किये जाने के कारण राज्य मंत्रिमण्डल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमण्डल, विशेषतया विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा या विधानपरिषद् के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जा सकते है। मंत्रिमण्डल के विरुद्ध निन्दा या आलोचना का प्रस्ताव पास किया जा सकता है या काम रोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इन सबके अतिरिक्त, विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है, जिसके कारण मंत्रिमण्डल को पद त्याग करना होता है।

4. संविधान में संशोधन की शक्ति :

हमारे संविधान की कुछ धाराएँ ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा स्वीकार किया जाये। राज्य विधानमण्डलों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानमण्डल तो केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते है।

5. निर्वाचन सम्बन्धी शक्ति :

राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं।

राजस्थान विधानपरिषद् के गठन की प्रक्रिया व वर्तमान स्थिति

राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधानमण्डल का प्रथम सदन ही है, जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। विधानपरिषद् के गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा ने पास कर केन्द्र सरकार की अनुमति एवं अनुमोदन हेतु भेजा है। वर्तमान में गठन संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास है। अतः राजस्थान में विधान मण्डल का द्वितीय सदन नहीं है। केन्द्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात् गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी।

राज्य कार्यपालिका

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमण्डल – कार्य एवं शक्तियाँ

राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद् होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गयी है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद् राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है।

राज्य का वैधानिक प्रधान : राज्यपाल

राज्यपाल की नियुक्ति : राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद–पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण किया जा सकता है। राज्यपाल यदि चाहे तो समय से पूर्व भी स्वयं अपना पद त्याग कर सकता है।

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परम्पराएं :

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान लागू होने के बाद से अब तक कुछ स्वस्थ परम्पराएं विकसित हुई हैं : (i) राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। (ii) राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे तथा उससे सहमति प्राप्त करे।

पद की योग्यताएँ व वेतन :

राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए दो योग्यताएं होनी आवश्यक है। प्रथम, वह भारत का नागरिक हो और द्वितीय, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, राज्यपाल संसद अथवा राज्य के विधानमण्डल का सदस्य नहीं हो सकता है और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से

उसे अपनी सदस्यता का त्याग करना होगा। राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।

वेतन व भत्ते :

वर्तमान में राज्यपाल को 1 लाख 10 हजार रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसे निःशुल्क निवास स्थान, भत्ते एवं अन्य सब सुविधाएं प्राप्त होंगी जिन्हें संसद कानून के द्वारा निर्धारित करे।

राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य

संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त और व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी है। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केन्द्र में राष्ट्रपति की है। अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ समानता है। दुर्गादास बसु के शब्दों में, ''थोड़े में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर।'' राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन अग्रलिखित रूपों में किया जा सकता है :

1. कार्यपालिका शक्तियाँ :

राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है, जिनका प्रयोग वह स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की। वह अधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य सूची में उल्लेखित विषयों तक विस्तृत है। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्य के सम्बन्ध में वह नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है। उसे मुख्यमंत्री से शासन से सम्बन्धित सभी विषयों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है।

राज्यपाल मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। उनके त्याग–पत्र स्वीकार करता है एवं उन्हें मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी करता है।

2. विधायी शक्तियाँ :

राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है और विधायी क्षेत्र में उसे महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग कर सकता है। आम चुनाव के बाद वह विधानमण्डल की पहली बैठक को सम्बोधित करता है और उसके बाद भी वह विधानमण्डल को संदेश भेज सकता है।

राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमण्डल को लौटा सकता है। यदि विधानमण्डल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है, तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित रख सकता है।

यदि राज्य के विधानमण्डल का अधिवेशन न हो रहा हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। यह अध्यादेश विधानमण्डल की बैठक आरम्भ होने के 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है। यदि 6 सप्ताह पूर्व ही विधानमण्डल इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे, तो उस अध्यादेश को उसी समय समाप्त समझा जायेगा। कुछ विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। राज्यपाल विधानपरिषद् के 1/6 सदस्यों को ऐसे लोगों में से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आन्दोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो। यदि वह ऐसा समझे कि विधानसभा में आंग्ल–भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस वर्ग के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है।

3. वित्तीय शक्तियाँ :

राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है और उसकी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की माँग नहीं की जा सकती है। राज्यपाल विधानमण्डल से पूरक, अतिरिक्त तथा अधिक अनुदानों की भी माँग कर सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती हैं।

4. न्यायिक शक्तियाँ :

संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दण्ड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है।

वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और

राज्य की आय–व्यय के सम्बन्ध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमण्डल के समक्ष रखता है।

अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता के सम्बन्ध में सूचना देता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा की जा सकती है।

राज्यपाल राज्य में कुलाधिपति होने के नाते केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें हटा भी सकता है।

5. विविध शक्तियाँ :

उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है :

राज्यपाल की स्थिति :

संविधान के अनुच्छेद 163 (1) के अनुसार, ''जिन बातों के सम्बन्ध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।'' वर्तमान समय में जम्मू–कश्मीर, नागालैण्ड, सिक्किम, और अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल को ही इस प्रकार की विवेकात्मक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को स्वविवेकी शक्तियाँ प्रदान नहीं की गयी हैं और संसदात्मक शासन की परम्परा के अनुसार उससे यह आशा की जाती है कि वह संवैधानिक प्रधान के रूप में ही कार्य करेगा, फिर भी कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जब वह अपने विवेक का प्रयोग कर सके। ऐसे अवसर निम्नलिखित हो सकते है : (1) विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन, (2) मंत्रिपरिषद् को अपदस्थ करना, (3) विधानसभा का अधिवेशन बुलाना या सत्रावसान करना, (4) विधानसभा का विघटन, (5) मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, (6) राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजना, (7) राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना, (8) विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना, (9) किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना।

इन सब बातों से यह नितान्त स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही ''वह केवल नाममात्र का अध्यक्ष नहीं है, वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्त्वपूर्ण रूप में भाग ले सकता है।''

वास्तविक कार्यपालिका : मंत्रिपरिषद्

संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गयी है और संसदात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित होती है, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

राज्य की मंत्रिपरिषद् का गठन

1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति :

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य की मन्त्रिपरिषद् के गठन का प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस सम्बन्ध में निश्चित परम्परा यह है कि राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति करता है।

2. मंत्रियों का चयन :

अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री ही करता है और वह मंत्रियों के नामों तथा उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्रिपरिषद् का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। मन्त्रिपरिषद् में कितने सदस्य हो इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री करता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद् के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यावहारिक दृष्टि से निम्न बातों को ध्यान में रखता है :

(i) राज्य के सभी क्षेत्रों, वर्गों को मंत्रिपरिषद् में न्यायसंगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

(ii) सामान्यतया मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद् का निर्माण किया जाता है जिससे मंत्रिपरिषद् एक इकाई के रूप में कार्य कर सके।

3. मंत्रियों की योग्यताएँ :

मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमण्डल के किसी सदन के सदस्य हों। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमण्डल का सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 माह के भीतर विधानमण्डल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसा करने में असफल रहने पर मंत्रिमण्डल छोड़ना होता है।

4. मंत्रियों का कार्य–विभाजन :

राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों में कार्य–विभाजन करता है। मंत्री के अधिकार के अन्तर्गत प्रायः एक

ही प्रमुख विभाग होता है, किन्तु कभी–कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं।

5. मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण :

पद ग्रहण के पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष दो शपथ लेनी होती है : पहली, पद के कर्त्तव्य–पालन की तथा दूसरी, गोपनीयता की।

6. मंत्रियों की श्रेणियाँ :

राज्यों की मंत्रिपरिषद् में भी मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ होती है : (1) कैबीनेट मंत्री या मंत्रिमण्डल के सदस्य, (2) राज्यमंत्री और (3) उपमंत्री। कैबीनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं और कैबीनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्यमंत्री होते हैं। कुछ राज्यमंत्रियों को किसी विभाग का स्वतन्त्र प्रभार भी दिया जा सकता है और कुछ राज्यमंत्री कैबीनेट मंत्री के कार्य में हाथ बँटाते हैं। राज्यमंत्री के बाद उपमंत्री आते हैं जो कैबीनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं।

7. मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल :

मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद् का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष ही हो सकता है क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही है।

8. सामूहिक उत्तरदायित्व :

मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गये विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद् को त्याग–पत्र देना होता है।

9. वेतन व भत्ते :

संविधान के अनुच्छेद 164 (5) के अनुसार मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमण्डल को है।

मंत्रिपरिषद् की कार्य–प्रणाली :

मंत्रिपरिषद् की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण इकाई मंत्रिमण्डल है और मंत्रिमण्डल ही सभी महत्त्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। मंत्रिमण्डल की बैठकें प्रायः सप्ताह में एक बार होती हैं, वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे तब इसकी बैठक बुला सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मंत्री करता है । बैठक का कोई 'कोरम' (गणपूर्ति) नहीं होता है।

मंत्रिमण्डल की कार्यवाही के दो प्रमुख नियम हैं : सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। मंत्रिमण्डल की बैठकों में सामान्यतया सभी निर्णय एकमत से लिये जाते हैं। मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार–विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है।

मंत्रिपरिषद् के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मंत्रिमण्डल की कार्यवाही तथा निर्णय गुप्त रखे जाते हैं।

मंत्रिपरिषद् की शक्तियाँ और कार्य

यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद् का कार्य राज्यपाल को 'सहायता और परामर्श देना' ही बतलाया गया है, किन्तु वास्तविक स्थिति नितान्त विपरीत ही है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के सम्बन्ध में जो शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, व्यवहार में उन सबका उपयोग मंत्रिपरिषद् के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद् शासन सम्बन्धी सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है।

1. शासन की नीति निर्धारित करना :

मंत्रिपरिषद् का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारित करना है। चाहे गृह विभाग हो या शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा कृषि, शासन की नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद् के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद् न केवल नीति निर्धारित करती है वरन् उसे कार्य रूप में परिणित करती है।

2. उच्च पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल को परामर्श :

संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। व्यवहार के अन्तर्गत राज्यपाल के द्वारा ये सभी नियुक्तियाँ मंत्रिपरिषद् के परामर्श के आधार पर ही की जाती है।

3. विधानमण्डल में शासन का प्रतिनिधित्व :

मंत्रिगण विधानसभा और विधानपरिषद् में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं।

4. कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना :

मंत्रिपरिषद् न केवल शासन वरन् कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विधानमण्डल में कौन–कौन से विधेयक तथा किस क्रम में प्रस्तुत किये जायेंगे, इसका निर्णय मंत्रिपरिषद् को ही करना होता है।

5. बजट तैयार करवाना :

राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह बजट

मंत्रिपरिषद् द्वारा निश्चित की गयी नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। बजट को पारित कराने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद् का ही होता है।

मुख्यमंत्री

राज्य की मंत्रिपरिषद् के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। अतः राज्य के प्रशासनिक ढाँचे में उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केन्द्र में प्रधानमंत्री की है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति :

संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अन्तर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है।

मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

मंत्रिपरिषद् राज्य प्रशासन की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण इकाई है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् का प्रधान है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ तथा उसके कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है :

1. मंत्रिपरिषद् का निर्माण :

मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद् का निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को देता है जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है।

2. मंत्रियों में कार्य का बँटवारा और परिवर्तन :

मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बँटवारा करता है। एक बार मंत्रिपरिषद् के निर्माण व उसके सदस्यों में विभागों का बँटवारा कर चुकने के बाद भी वह जब चाहे तब मंत्रियों के विभागों तथा उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है।

3. मंत्रिमण्डल का कार्य–संचालन :

मुख्यमंत्री ही मंत्रिमण्डल की बैठकें बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है। बैठक के लिए 'एजेण्डा' या कार्यसूची मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार की जाती है। मंत्रिमण्डल की समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही सम्पादित होती है।

4. शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय :

मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग, दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद् एक इकाई के रूप में कार्य करे। यदि मंत्रिपरिषद् के दो या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जायें, तो उनके द्वारा इन मतभेदों को दूर कर सामंजस्य स्थापित किया जाता है।

5. मंत्रिपरिषद् और राज्यपाल के बीच सम्बन्ध स्थापितकर्ता :

संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह भार है कि मंत्रिपरिषद् और राज्यपाल के बीच सम्पर्क स्थापित करे। वह मंत्रिमण्डल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमण्डल तक पहुँचाता है।

6. विधानसभा का नेता :

एक ओर मुख्यमंत्री शासन का प्रधान है तो दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छानुसार ही सम्पन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है।

उच्च न्यायालय –

उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की योग्यता, नियुक्तियाँ एवं शक्तियाँ :–

भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के पश्चात् न्यायपालिका में उच्च न्यायालय का स्थान आता है। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद–214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। दो या अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है।

भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास में स्थापित किए गए। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं।

उच्च न्यायालय का गठन–

अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति समय–समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। इस प्रकार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा।

न्यायाधीशों की नियुक्ति–

अनुच्छेद 217(1) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम व राज्यपाल के परामर्श से करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

और राज्यपाल के परामर्श से करता है।

न्यायाधीश की योग्यताएँ –

अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए–

1. भारत का नागरिक हो;
2. भारत के राज्यक्षेत्र में कम–से–कम 10 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो;
3. उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम–से–कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

कार्यकाल – अनुच्छेद 217 (1) के अन्तर्गत न्यायाधीश के कार्यकाल संबंधी प्रावधान है–

1. वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा।
2. न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित करके अपना त्याग–पत्र दे सकता है।
3. न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है।

न्यायाधीश द्वारा शपथ– अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा।,

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। (अनुच्छेद 222)

न्यायाधीशों के वेतन– अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रूपये व अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रूपये मासिक वेतन मिलता है।

उच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता– उच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता के लिए निम्न व्यवस्थाएँ की गई हैं–

1. नियुक्त के लिए विशेष प्रक्रिया,
2. निश्चित कार्यकाल,
3. संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं,
4. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा, जहाँ वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका है,
5. कार्यपालिका से पृथक्करण।

उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र एवं शक्तियाँ – उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र एवं शक्तियों का वर्णन इस प्रकार है–

1. मूल / प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार
2. रिट अधिकारिता
3. अपीलीय क्षेत्राधिकार
4. अभिलेख न्यायालय
5. प्रशासन सम्बन्धी शक्तियाँ
6. न्यायिक पुनरावलोकन।

1. मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) –

इसका तात्पर्य है प्रथमतः उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना। ये क्षेत्र हैं–

संसद एवं राज्य विधानमण्डल सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी विवाद,

राजस्व एकत्रीकरण सम्बन्धी विवाद,

मौलिक अधिकार (Admiralty) व वसीयत (Probate), विवाह विधि, कम्पनी कानून तथा विवाह–विच्छेद आदि के मुकदमें।

2. याचिका (Writ) अधिकारिता –

अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा याचिका जारी कर सकता है। जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद–32 के अन्तर्गत केवल मौलिक अधिकारों के लिए याचिका जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ–साथ अन्य मामलों (अधिकारों) के लिए याचिका जारी कर सकता है।

3. अपीलीय क्षेत्राधिकार –

उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है–

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार – आयकर, पेटेण्ट, डिजाइन, उत्तराधिकार आदि मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार – जब अपराधी को सैशन न्यायालय ने चार वर्ष के लिए कारावास दण्ड दिया है या मृत्युदण्ड दिया है तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है।

संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार – कोई भी ऐसा मुकदमा, जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

4. अभिलेख न्यायालय–

अनुच्छेद 215 के अन्तर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अवमानना के लिए दण्ड देने की शक्ति है।

उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जायेंगे और वह अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे।

5. प्रशासन सम्बन्धी अधिकार–

उच्च न्यायालय के प्रशासन सम्बन्धी अधिकार इस प्रकार है–

उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी न्यायालय के पत्रों/निर्णय को मँगवा सकता है और उनकी जाँच–पड़ताल करवा सकता है।

उच्च न्यायालय का कर्त्तव्य है कि वह ध्यान रखे कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा तथा अपने कर्त्तव्यों का निश्चित विधि के अनुसार ही पालन कर रहा है। वह किसी भी वाद को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार तथा निर्णय के लिए भेज सकता है।

6. न्यायिक पुनरावलोकन –

उच्च न्यायालय केन्द्र व राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है।

राज्य में विधानमण्डल, कार्यपालिका व राज्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- विधानसभा का गठन – **(1)** सदस्य संख्या, **(2)** स्थान आरक्षण, **(3)** निर्वाचन पद्धति **(4)** सदस्यों की योग्यताएं, **(5)** कार्यकाल, **(6)** पदाधिकारी–अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, **(7)** अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य।
- विधानपरिषद् का गठन :– **(1)** सदस्य संख्या, **(2)** सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन, **(3)** सदस्यों की योग्यताएं, **(4)** कार्यकाल– स्थायी सदन, **(5)** पदाधिकारी–सभापति तथा उपसभापति।
- विधानपरिषद् के अधिकार तथा कार्य : **(1)** कानून निर्माण सम्बन्धी, **(2)** कार्यपालिका सम्बन्धी, **(3)** धन सम्बन्धी।
- विधानमण्डल या विधानसभा की शक्तियां एवं कार्य : **(1)** विधायी कार्य, **(2)** वित्तीय शक्ति, **(3)** प्रशासनिक शक्ति, **(4)** संविधान के संशोधन की शक्ति, **(5)** निर्वाचन सम्बन्धी शक्ति।
- राज्य कार्यपालिका : राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्
- राज्यपाल : राज्य का वैधानिक प्रधान। नियुक्ति : राष्ट्रपति द्वारा। पद की योग्यताएं व वेतन।
- राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य : **(1)** कार्यपालिका शक्तियां, **(2)** विधायी शक्तियाँ, **(3)** विविध शक्तियाँ।
- मंत्रिपरिषद् का गठन : **(1)** मुख्यमंत्री की नियुक्ति, **(2)** मंत्रियों का चयन, **(3)** मंत्रियों की योग्यताएं **(4)** मंत्रियों का कार्य–विभाजन, **(5)** मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, **(6)** मंत्रियों की श्रेणियाँ, **(7)** मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल, **(8)** सामूहिक उत्तरदायित्व, **(9)** वेतन, भत्ते।
- मंत्रिपरिषद् की शक्तियाँ और कार्य : **(1)** शासन की नीति निर्धारित करना, **(2)** उच्च पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल को परामर्श, **(3)** विधानमण्डल में शासन का प्रतिनिधित्व, **(4)** कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। **(5)** बजट तैयार करवाना।
- मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य : **(1)** मंत्रिपरिषद् का निर्माण, **(2)** मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन, **(3)** मंत्रिमण्डल का कार्य–संचालन, **(4)** शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, **(5)** मंत्रिपरिषद् और राज्यपाल के बीच सम्बन्ध स्थापितकर्ता।
- उच्च न्यायपालिका– न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।
- न्यायाधीशों की योग्यताएं– भारत का नागरिक, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण तथा कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता।
- कार्यकाल– 62 वर्ष की आयु
- शपथ– राज्यपाल द्वारा।
- उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता हेतु व्यवस्थाऐं।
- कार्य एवं शक्तियां– 1. मूल/प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 2. याचिका अधिकारिता 3. अपीलीय क्षेत्राधिकार 4. अभिलेख न्यायालय 5. प्रशासन सम्बंधी 6. न्यायिक पुनरालोकन।

अभ्यास प्रश्न

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कब तक स्थिर रहेगी?
2. भारतीय संघ के किन राज्यों में दो सदनों वाला विधानमण्डल है?
3. विधानपरिषद् के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है?
4. राज्य की विधानसभा तथा विधानपरिषद् के मुख्य पदाधिकारियों के पदनाम बतलाइए।
5. राज्य की मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार राज्य विधानमण्डल के किस सदन को नहीं है?
6. अध्यापकों का निर्वाचक मण्डल विधानपरिषद् में कितने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं?
7. राज्यपाल किसकी इच्छापर्यन्त अपने पद पर बना रहता है?

8. संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है?

9. राज्य के विधानमण्डल के सत्रावसान में राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है, उसे क्या कहते हैं?

10. पद ग्रहण के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष किस आशय की शपथ लेनी होती है?

11. उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत किया गया है?

12. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. किन्ही तीन ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिससे किसी विधानसभा के सदस्य की सदस्यता का अन्त हो जाता है।

2. विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों को संक्षेप में समझाइए।

3. मान लीजिए आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं और आपको सदन के सदस्यगण हटाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें जिस विधि का अनुसरण करना होगा, उसे संक्षेप में समझाइए।

4. यदि राजस्थान में विधानपरिषद् की स्थापना करनी हो, तो क्या विधि अपनानी होगी?

5. राज्यपाल पद के उम्मीदवार में कौन–सी योग्यताएं आवश्यक हैं?

6. राज्यपाल की स्व–विवेकीय शक्तियां बतलाइए।

7. राज्य मंत्रिपरिषद् का गठन किस प्रकार होता है?

8. राज्य मंत्रिपरिषद् की कार्यप्रणाली को संक्षेप में समझाइए।

9. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु कोई दो योग्यताएं बताइये।

निबन्धात्मक प्रश्न–

1. विधानसभा के गठन, अधिकारों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए।

2. विधानपरिषद् के गठन, अधिकारों तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए।

3. राज्य विधानमण्डल में साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया बतलाइए।

4. राज्यपाल की नियुक्ति एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए।

5. राज्य मंत्रिपरिषद् के गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।

6. राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए।

7. उच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए।

अध्याय 8

जल संसाधन

परिचय–

जल प्रकृति की अनुपम देन है जो कि पृथ्वी पर समस्त क्रियाओ को गति प्रदान करता है। पृथ्वी के धरातल पर 71 प्रतिशत जल तथा 29 प्रतिशत स्थल है। इस जल का 97 प्रतिशत भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में तथा शेष 3 प्रतिशत जल उपयोग हेतु है। इस जल का भी 69 प्रतिशत हिम रूप में तथा 30 प्रतिशत भूमिगत रूप में रहता है। शेष 1 प्रतिशत जल का उपयोग मानव पेयजल, सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। भारत में कुल उपयोग योग्य जल की उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल ही उपयोग में लिया जाता है इस मानव उपयोगी जल में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल तथा 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भू–जल का भाग है सन् 2000 में भारत में जल की कुल आवश्यकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर तथा सन् 2025 में यह मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी । तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा वैश्विक उष्णता से जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन तथा संरक्षण आवश्यक हो गया है।

जल प्रबंधन –

वर्षा जल का अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ में चला जाता है। इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु एवं मानसून की अनियमितता व अनियमितता के कारण सूखे व अकाल से निपटने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक होता है। देश में आजादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं आरम्भ की गई, जिससे बाढ़ व सूखे की समस्या से बचाव होने लगा, वहीं बिजली, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, मछली पालन और पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग मिला। इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ''आधुनिक भारत का मन्दिर'' कहा था ।

भारत में इन परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से किया जाता है

1. केन्द्र सरकार के द्वारा महत्त्वपूर्ण योजनाओं जैसे भाखड़ा नाँगल, रिहन्द, दामोदर, हीराकुण्ड, कोसी, टिहरी, परियोजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

2. राज्य सरकारों के माध्यम से चम्बल परियोजना (मध्य प्रदेश व राजस्थान), नागार्जुन सागर परियोजना, (आन्ध्र प्रदेश), तुंगभद्रा परियोजना (आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटक), सरदार सरोवर परियोजना (गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान), मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना (प.बंगाल), माही परियोजना (गुजरात तथा राजस्थान), गण्डक परियोजना (बिहार तथा उत्तरप्रदेश), मच्छकुण्ड परियोजना (आन्ध्र प्रदेश व उड़ीसा) जैसी विभिन्न

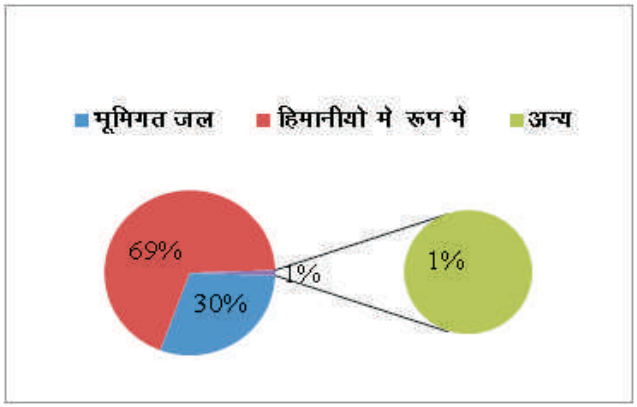

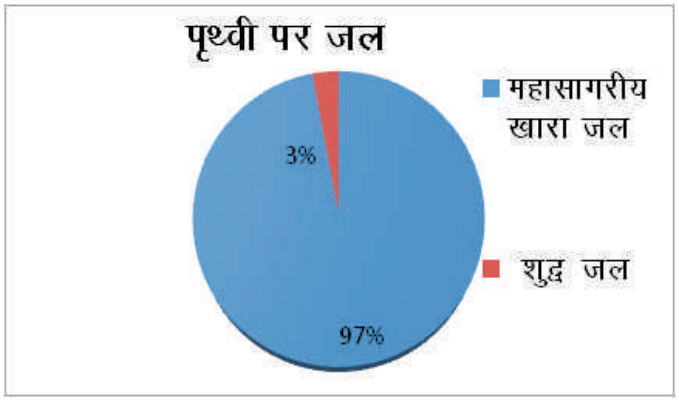

परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है।

भाखड़ा नाँगल परियोजना–

1948 में आरम्भ होकर 1963 में पूर्ण हुई देश की सबसे बड़ी एवं महत्त्वपूर्ण परियोजना जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है।

यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत व पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना है। इस योजना के तहत दो बांध पंजाब के अंबाला जिले में बनाए गए है। पहला भाखड़ा बांध जो कि 518.16 मीटर लम्बा तथा 167.64 मीटर ऊँचा है। सीमेंण्ट तथा कंकरीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़ें बांधों में यह सबसे बड़ा बांध है। दूसरा भाखड़ा बांध से 13 किमी. नीचे नाँगल नामक स्थान पर बनाया गया है जो कि भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सरहिन्द नहर, नाँगल नहर, बिस्त दोआब नहर तथा नरवाना नहरें निकाली गईं तथा नांगल विद्युत गृह व कोटला तथा गंगवाल में दो विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है।

''भाखड़ा नाँगल परियोजना में कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ विस्मयकारी है, कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपके दिल में हिलोरें उठती हैं। भाखड़ा पुनरूत्थित भारत का नवीन मन्दिर है और यह भारत की प्रगति का प्रतीक है''।

जवाहर लाल नेहरू

दामोदर घाटी परियोजना –

स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्त्वपूर्ण परियोजना जो कि पश्चिमी बंगाल व झारखण्ड की संयुक्त परियोजना है, इसे पश्चिमी बंगाल में शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 में आरम्भ किया गया। यह नदी पश्चिमी बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात थी। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखण्ड में 290 कि.मी. तथा पं. बंगाल में 240 कि.मी. बहकर हुगली नदी में गिरती है। बाराकर, बोकारो व कोनार इसकी सहायक नदियाँ हैं इस नदी के द्वारा 18000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ व अपरदन से प्रभावित होता है। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी (T.V.C) घाटी परियोजना निगम के प्रारूप के अनुसार भारत में दामोदर घाटी (D.V.S) निगम की स्थापना की। इस परियोजना का उद्देश्य पं. बंगाल व झारखण्ड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना में, बाराकर नदी पर मेंथान, बाल पहाड़ी व तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार तथा दामोदर नदी पर अघर बांध, बर्मो बांध, बाल पहाड़ी आठ बांध, एक दुर्गापुर अवरोधक बांध, बोकारो, चन्द्रपुर तथा दुर्गापुर में तीन जल विद्युत गृहों का निर्माण, तथा 2500 किमी. नहरी प्रणाली का विकास किया गया।

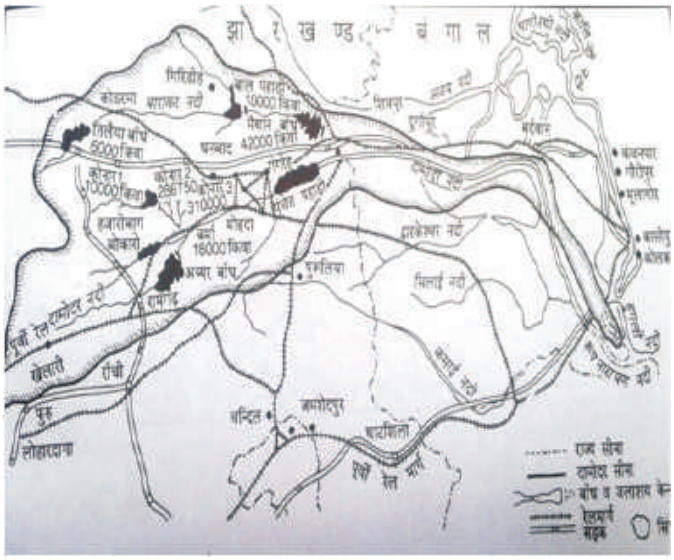

हीराकुण्ड परियोजना–

प्रायद्वीपीय (Peninsular) भारत की महत्वाकांक्षी योजना जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी महानदी पर भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकल कर उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है, शेष समय में सूखे तथा अकाल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपये की लागत से सम्बलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुण्ड बांध बनाया

है। यह विश्व का सबसे लम्बा बांध है जिसकी लम्बाई 4801 मीटर है, जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इसके अलावा तिकरपाडा व नराज में दो अन्य बांध बनाए गये हैं। इस योजना को दो चरणो में पूरा किया गया है जिसमें प्रथम चरण में उड़ीसा के सम्भलपुर जिले में हीराकुण्ड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर तथा बाँयी ओर सेसन व सम्बलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया तथा दूसरे चरण में चार विद्युत गृहों का निर्माण किया गया।

राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं–

चम्बल घाटी परियोजना – राजस्थान एवं मध्यप्रदेश की संयुक्त परियोजना चम्बल नदी पर 1953 में आरम्भ हुई। इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन तथा बाढ़ के कारण तथा अन्य सम्बधित आपदाओ से होने वाली हानि से बचाव के लिए तीन चरणों में आरम्भ की गई इस योजना के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश के मन्दसौर जिले में गांधी सागर बांध तथा नहरी प्रणाली का निर्माण किया गया, द्वितीय चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध तथा तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध तथा विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। कोटा बैराज से राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है।

राजस्थान नहर या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना –

राजस्थान में थार मरूस्थल में पेयजल आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज व रावी के संगम पर स्थित हरिके बेराज से इस नहर को निकाला गया है। यह नहर भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है जिसकी कुल लम्बाई 649 किमी. है जिसमें से 169 किमी. पंजाब तथा 14 किमी. हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। इस नहर के द्वारा राजस्थान के 9 जिलों, 29 कस्बों तथा 3461 गाँवों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस नहर को दो चरणों में पूर्ण किया गया जो क्रमशः राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर है। राजस्थान फीडर जो आरम्भिक स्थल से मसीतावली तक तथा मुख्य नहर मसीतावली से मोहनगढ़ के अन्तिम बिन्दु तक का

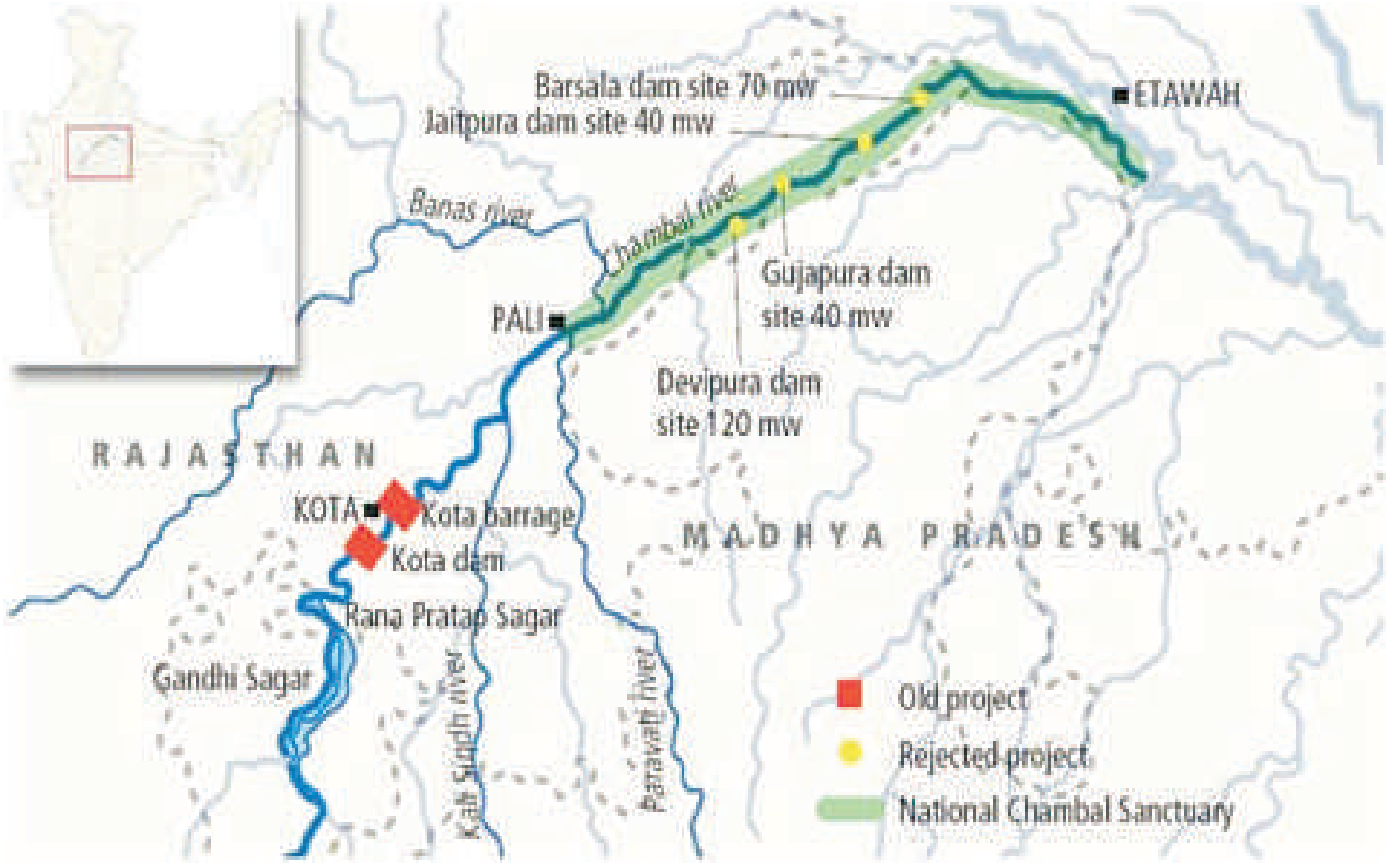

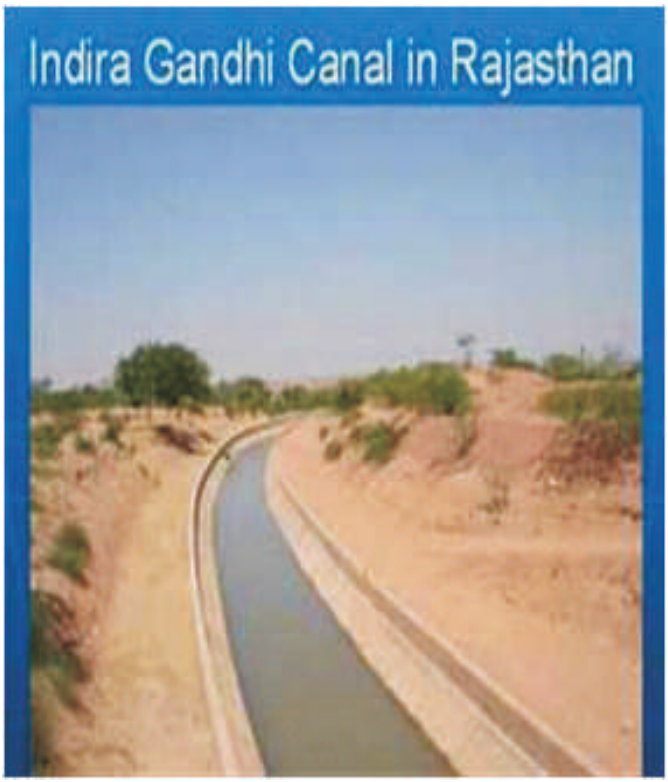

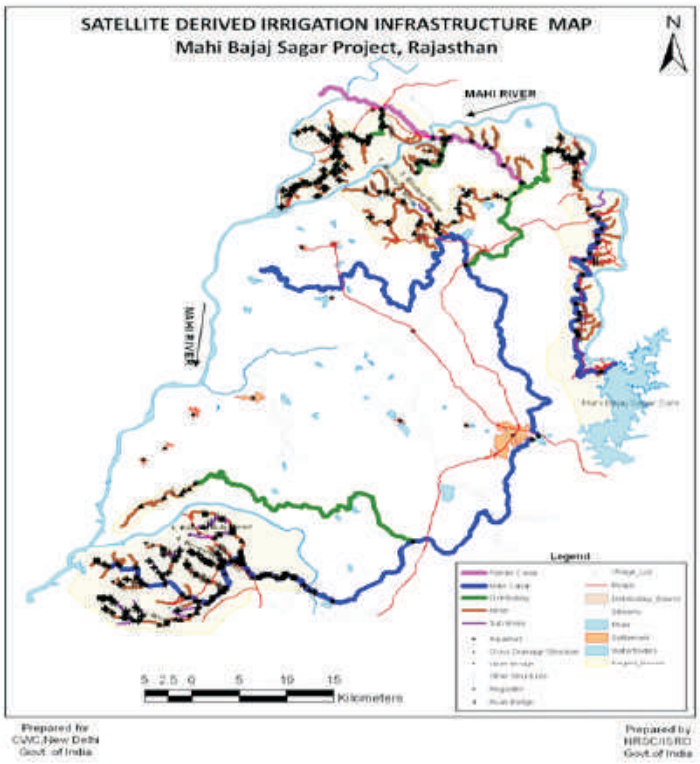

भाग है जो क्रमशः 204 किमी. तथा 445 किमी. है। इस नहर के द्वारा थार के मरूस्थल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं तथा लिफ्ट नहरें निकाली गयी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की ओर अर्थात् पश्चिमी सीमा पर 09 शाखाएं ढाल के अनुरूप तथा पूर्व की ओर ऊँचाई अधिक होने के कारण जल को ऊपर उठा कर छोटी नहरों में डाला जाता है जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। लिफ्ट नहरों की कुल संख्या 07 है। इस नहर के माध्यम से 17.41 करोड़ हैक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। अब इस परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड़ तक बढ़ा दिया गया है।

माही बजाज सागर परियोजना–

राजस्थान एवं गुजरात की यह संयुक्त परियोजना विन्ध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर 1971 में आरम्भ हुई। यह परियोजना इस नदी के प्रवाह मार्ग में डूँगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु आरम्भ की गईं। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया तथा गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कडाना बांध बनाया गया। नहरी प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य बांध से 500 मी. नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया और विद्युत तंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध पर दो विद्युत गृहों का निर्माण किया गया।

बीसलपुर परियोजना–(1997–1998)

यह बहुउद्देशीय जल परियोजना (सिंचाई व पेयजल) है। इस योजना में टोंक जिले के टोडारायसिंह कस्बे के पास बीसलपुर स्थान पर बनास नदी पर 574 मीटर लम्बा तथा 39.5 मीटर ऊँचा बांध बनाया गया है। इस बांध के दायें तथा बायें किनारे से दो नहरें निकाली गयी है। इस योजना के माध्यम से सवाईमाधोपुर जिले को सिंचाई, जयपुर शहर तथा अजमेर, केकड़ी, सरवाड, ब्यावर एवं रास्ते में आने वाले गाँवो को पेयजल आपूर्ति तथा टोंक जिले के 256 गाँवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा।

राजस्थान की अन्य परियोजनाएँ–

1. जाखम परियोजना –

जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर व प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रो में विकास हेतु सिंचाई योजना लिए अनूपपुरा में जाखम बाँध बनाया गया है इससे 13 किमी. दूर नागरिया गाँव में पिकअप से नहर प्रणाली का विकास किया गया।

2. 'सोम–अम्बा–कमला' परियोजना –

सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कमला अम्बा गाँव में बांध का निर्माण किया गया है जिससे डूँगरपुर जिले की आसपुर तथा उदयपुर की सलूम्बर तहसील के गाँवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

3. मेजा बांध–

भीलवाड़ा जिले की माण्डलगढ़ तहसील के मेजा गाँव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बाँध बनाया गया है। बाँध से

मत्स्यपालन व नहर प्रणाली का विकास किया गया।

4. सिद्धमुख परियोजना –

रावी–व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ की नोहर–भादरा तथा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने में इस परियोजना किया जाता है।

5. नर्मदा परियोजना –

सरदार सरोवर बाँध के जल से बाड़मेर तथा जालोर को पेयजल की आपूर्ति होती है।

6. जवाई बाँध परियोजना –

पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक जवाई नदी पर ऐरिनपुरा (पाली) में बाँध बनाया गया है। इससे 176 किमी. नहर निकाल कर पाली व जालोर में सिंचाई की जाती है।

7. पांचना बाँध –

करौली जिले में गुडला गाँव के समीप पांच नदियों बरखेडा, भद्रावती, माची, भैसावट तथा अटा के संगम पर मिट्टी का बाँध बनाया है, जिससे टोडाभीम, हिण्डौन, गंगापुर के गाँवों को सिंचित किया जाता है।

उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा भी लगभग 40 लघु परियोजनाएं राजस्थान के विभिन्न भागों में क्रियाशील है जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर जल के प्रबंधन का कार्य किया गया है।

जल संरक्षण–

किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित जल प्रबंध कर संग्रहण करना ही उस स्थान का जल संरक्षण है ताकि मानसून काल के अतिरिक्त जल को बाँधों, तालाबों तथा झीलों अथवा छोटे जलस्त्रोत में इकट्ठा करके शेष अवधि में प्रयोग लिया जा सके। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत के समान माना है जिसके प्रति संवेदनशीलता के कारण देश के शासकों, सेठ साहूकारों तथा स्थानीय नागरिकों ने गाँवों तथा नगरों में कुंए, बावड़ी, तालाब, तथा झीलों का निर्माण कराया है। प्राचीन भारत में जलसंरक्षण के प्रति सद्भावना थी। इसी कारण भारत में सिन्धु सभ्यता की खुदाई से कुण्ड, कूप तथा नहरों के साक्ष्य मिले है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। दक्षिण भारत में चालुक्य शासकों द्वारा विभिन्न ऐनिकटों तथा बांधों का निर्माण कराया गया।

राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता परम्परागत रही है क्योंकि वर्षा की कमी तथा सूखे की आशंका यहाँ हमेंशा से बनी रही है। इसी कारण स्थानीय राजाओं तथा साहूकारों द्वारा बावड़ी, झालरा, नाडी, कुएं, कुईं तथा जोहड़ों का निर्माण करवाया गया जो कि स्थानीय जनता के पेयजल स्त्रोत रहे हैं। साथ ही छोटे व बड़े बाँध, खड़ीन तथा एनीकट पेयजल के साथ–साथ सिंचाई के लिए भी उपयोगी रहे।

राजस्थान में परम्परागत जल संरक्षण के रूप –

01. बावड़ी–

चतुष्कोणीय, गोल व वर्तुल आकार में निर्मित जल स्त्रोत जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया है, इनके आगे आंगननुमा भाग होते हैं। इन भागों तक पहुँचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती है। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेंहराब व स्तम्भ व झरोखे होते हैं। इन झरोखों में स्थानीय जलदेवता की मूर्तियाँ होती है। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व उपयोग व्यक्तिगत अथवा सामाजिक होता है। बावड़ियों राज्य के सभी जिलों में मिलती है। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सदैव सिटी ऑफ स्टैप वेल्स कहा जाता है। इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भाड़ारेंज बावड़ी, चित्तौड़ की विनाता की बावड़ी व आभानेरी की चान्द बावड़ी प्रसिद्ध है।

02.तालाब–

तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है जो पशुधन तथा मानव के पेयजल का स्त्रोत रहा है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया गया है। इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक तथा सामाजिक भावना जुड़ी रहती है। इस कारण इनका संरक्षण तथा सुरक्षा आसानी से हो जाती है। राजस्थान के प्रमुख तालाब जो तत्कालीन समय में जल स्त्रोत रहे है। पाली में हेमाबास तालाब, सरेरी तथा मेजा तालाब भीलवाड़ा में, बानकिया तथा सेनापानी तालाब चित्तौड़ जिले में, गडीसर व गजरूपसागर जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध रहें हैं।

03.झीलें–

झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्त्रोत रही है। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों एवं बनजारों के द्वारा किया गया था। ये पेयजल के साथ–साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित रही है। इन झीलों से नहरें निकाल कर समीप के भागों में सिंचाई कार्य किया जाता था। यह झीलें जहाँ स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सहायक रही वहीं अकाल तथा सूखे में जीवनदायिनी रही है। इन झीलों में अजमेर की आनासागर, उदयपुर की पिछौला तथा फतेहसागर, चुरू की तालछापर, जालोर का बाकली बांध, टोंक का टोरडीसागर, पाली का सरदारसमन्द, बूंदी की नवलखा झील तथा राजसमन्द की नौ चौकी झील प्रसिद्ध है।

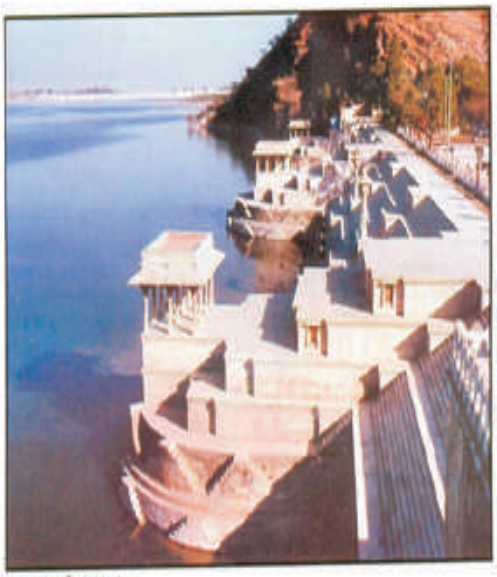

राजसमन्द झील, राजसमन्द

04.नाडी–

सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है जो प्रायः पश्चिमी राजस्थान में अधिकाशतः पायी जाती है। नाडी में रेतीले मेदानी भाग में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर गहरी होती है। इसमें छोटा आकार तथा कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्प काल के लिए इकट्ठा होता है। इन नाडियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाकर और नाड़ियों को गहरा किया जाता है। ये प्रायः पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल का मुख्य स्त्रोत रही है।

4.टांका–

पश्चिमी राजस्थान में परम्परागत जलसंग्रहण तथा जलसंरक्षण स्त्रोत जो कि प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गढ्ढ़ा खोदकर बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग को पत्थरों अथवा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है।

इसमें घरों की छत तथा आगोर से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण कर दिया जाता है। इसके आन्तरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप कर दिया जाता है जो जल रिसाव व तली के कटाव को रोकता है। राजस्थान में जलस्वावलम्बन योजना तथा अन्य योजनाओं में इन टांकों का निर्माण किया जा रहा है।

5.जोहड़ –

शेखावाटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जलसंग्रहण का साधन है। इसका रूप सामान्यतः टांके के सामान ही है परन्तु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा तथा गोलाकार और खुला होता है जिसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से इकटठा किया जाता है। ये जोहड़ पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत है।

6.बेरी या छोटी कुई –

यह पश्चिमी राजस्थान में तालाब तथा खड़ीन में आगोर

भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गढ्ढा खोदकर बनाई जाती है। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है तथा इसकी दीवारो को पत्थरों से बांधा जाता है जिससे भूमिगत जल रिस कर आता रहे। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरियाँ बाड़मेर व जैसलमेर में पाई जाती है।

7.खड़ीन–

खड़ीन वस्तुतः जैसमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जलसंरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गयी है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है जिससे इससे लगते दूसरे खड़ीन भूमि को जल मिल सके। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी

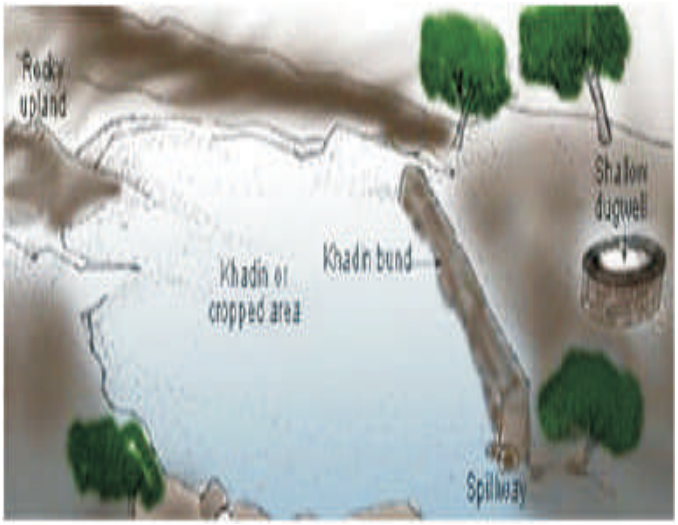

संरक्षण तथा मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे रबी तथा खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा होती है साथ ही इसके किनारो तथा आगोर पर बनी बेरियो से ग्रीष्मकाल में पेयजल मिलता रहता है।

वस्तुतः राजस्थान में जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन परम्परागत रहा है क्योंकि अकाल व सूखे की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। इस कारण स्थानीय जनता तथा शासको ने वर्षा जल की एक एक बूंद सहेज कर अधिकतम उपयोग की मानसिकता से इन विभिन्न तकनीकों को जन्म दिया। धार्मिक आस्था से जुड़े होने से स्वतः ही संरक्षित होते रहे जिसके कारण ये स्त्रोत लम्बे समय तक स्थानीय जीव जन्तुओं व प्राकृतिक वनस्पति और मानव के लिए पेयजल की आपूर्ति करते रहे।

जल स्वालम्बन –

वर्तमान में भूमिगत गिरते जलस्तर तथा स्थानीय स्तर पर प्रचलित जलस्त्रोतों की दुर्दशा तथा बड़े बाँधों में बढ़ती मिट्टी की गाद तथा वर्षा की कमी के कारण जलसंकट की विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगी। साथ ही बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती माँग के कारण संकट और भी गंभीर हो गया है इस कारण भारत सरकार ने जल क्रान्ति अभियान तथा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन कार्यक्रम आरम्भ किये हैं। इन कार्यक्रमों को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जल का समुचित प्रबंधन किया जाना है।

सामान्यत जल का प्रबंधन तथा संरक्षण परम्परागत रूप से प्रत्येक ढाणी, गाँव, कस्बे में नाडी, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोहड़ व बेरी आदि विभिन्न रूपों में अपनाया गया है। ये जल स्रोत तत्कालीन समय के अनुसार स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन तथा संरक्षण का अनुपम उदाहरण थे जो कि लम्बे समय तक स्थानीय स्तर पर जल प्रदान करते थे। जल प्रबंधन की परम्परागत सुव्यवस्थित तकनीकों से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अकाल के समय में भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता था, परन्तु इन स्त्रोतों की वर्तमान में उपयोगिता कम होने तथा पर्याप्त संरक्षण के अभाव में ये जर्जर स्थिति में रह गये हैं।

वर्तमान समय में जल की कमी से उत्पन होने वाले संकट से मुक्ति के लिए जल स्वावलम्बन आवश्यक हो गया है जिसके अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर जल की बचत तथा जल के उपयोग को व्यवस्थित करना तथा वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संरक्षित कर उसका समुचित प्रबंधन करना है। इसमें इन परम्परागत स्त्रोतों का स्थानीय स्तर पर पुनर्विकास करके उसका सिंचाई तथा अन्य कार्यों में उपयोग किया जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर वर्षा जल व भूजल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना –

राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में ग्रामीण स्तर पर जलग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाहों के सहयोग से जल प्रबंन्धन कर आत्मनिर्भर करना है। इस योजना में भू–जल स्तर में वृद्धि व गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के साथ साथ प्राचीन स्त्रोतों जैसे कुएं, तालाब, नाडी तथा लुप्त हो रहे जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। इसमें पंचायत स्तर पर नाडियों, तालाबों व कुओं की खुदाई तथा इनकी दीवारों को ठीक करने का कार्य करना तथा इन जल स्त्रोतों के जल प्राप्ति क्षेत्रों में आने वाले अवरोधों को हटा कर जल प्राप्ति के मार्ग को दुरूस्त करने का कार्य किया जाना है। इस अभियान की

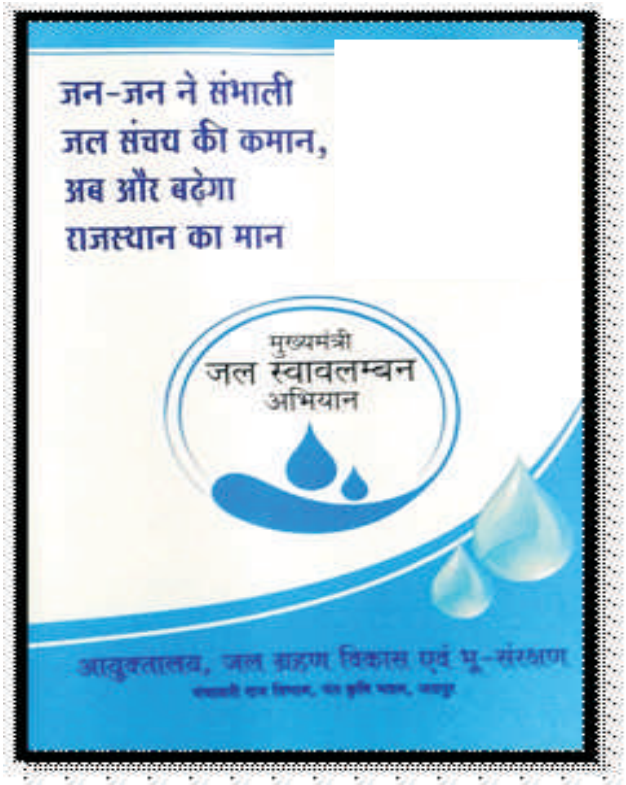

अवधि 4 वर्ष होगी जिसमें राज्य द्वारा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर 21000 गाँवों को लाभान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गैरसरकारी संगठनों, धार्मिक ट्रस्टों, अप्रवासी ग्रामीण भारतीयों व स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से जलग्रहण क्षेत्रों के उपचार जिसमें डीप कन्टीन्यूअस कन्टूर ट्रेन्चेज, स्ट्रेगर्ड, फार्म पोण्ड, मिनि परकोलेशन टेन्क, संकन गली पिट, खडीन, जोहड़, टांका निर्माण करना है। श्रृंखलाबद्ध छोटे–छोटे एनिकट, मिट्टी के चेकडेम एवं जल संग्रहण ढाँचा, नाला स्थरीकरण के कार्य करना है। इसके अलावा माईनर ईरिगेशन टैंक की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्य एवम जलस्त्रोतों को नालों से जोड़ना, चारागाह विकास तथा वृक्षारोपण कार्य, कृत्रिम भू–जल पुनर्भरण संरचनाओं के पुर्नजलभरण कार्य एवं फसल व उद्यानिकी में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना है। साथ ही ग्रामीणों में इन जल स्रोत के संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाए रखने के उद्देश्य से इनके महत्ता का प्रचार प्रसार विभिन्न नुक्कड़ नाटकों तथा मेलों व रैलियों के माध्यम से किया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

01. पृथ्वी पर केवल एक प्रतिशत जल ही मानव के पेयजल, सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी है।

02. जल प्रबंधन में जल के वितरण,विकास व सुव्यवस्थित उपयोग के लिए की गई सभी तकनीक, योजनाएं सम्मिलित होती है जो जल की मांग व पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करती है।

03. जल संरक्षण में वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संग्रहित करने के लिए अपनाई गई तकनीक व विधियाँ होती है।

04. जल स्वावलम्बन में भू–जल तथा सतही जल का स्थानीय स्तर पर जल का प्रबंधन व संरक्षण कर आत्मनिर्भर होना है।

05. भाखड़ा बाँध जो कि 518.16 मीटर लम्बा तथा 167.64 मीटर ऊँचा है, सीमेण्ट तथा कंकरीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बाँधों में सबसे बड़ा बाँध है।

06. हीराकुण्ड बाँध जो विश्व का सबसे लम्बा बाँध अर्थात् 4801 मीटर लम्बा बाँध है जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचयित

होता हैं।

07. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की नदी घाटी परियोजनाओ को भारत का नवीन मंन्दिर बताया है

08. पिकअप बाँध से विभिन्न बाँधों से छोड़े जाने वाले पानी को रोकने का कार्य करता है इसके बाद समान रूप से वितरित किया जाता है।

09.बैराज से तात्पर्य जहाँ से सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाता है जैसे हरिके बैराज तथा कोटा बैराज।

10.इन्दिरा गांधी नहर– भारत ही नहीं एशिया की सबसे लम्बी मानव निर्मित नहर है जिसकी कुल लम्बाई 649 किमी. है।

11.पांचना बाँध– करौली जिले केगुड़ला गाँव के समीप पाँच नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैसावट तथा अटा के संगम पर मिट्टी का बाँध बनाया है।

12.खड़ीन– खड़ीन वस्तुतः कृषि भूमि होती है जो जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राहमणो द्वारा अपनाई गई। जलसंरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गयी है।

13. जोहड़ – शेखावटी क्षेत्र सीकर, झुंझनू व चुरू वर्षा के जल संग्रहण का स्वरूप है।

14. जल स्वावलम्बन के उद्देश्य से भारत सरकार ने जल क्रान्ति अभियान तथा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन कार्यक्रम आरम्भ किये है ।

अभ्यास प्रश्न

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

06. जल प्रबंधन से क्या ताप्तर्य है ?
07. भारत की सबसे लम्बी मानव निर्मित नहर कौन सी है ?
08. भारत का सबसे लम्बा बाँध कौन सा है ?
09. बैराज से क्या तात्पर्य है ?
10. राजस्थान में जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाता है ?
11. गडीसर व गजरूपसागर किस जिले में प्रसिद्ध रहे है ?
12. राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कौनसी बहुउद्धेशीय परियोजना है ?
13. मिट्टी से निर्मित बाँध कौनसा है ?

लघूत्तरात्मक प्रश्न–

14. भारत में कौनसी परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से किया जाता है?
15. जल स्वावलम्बन की आवश्यकता क्यों है ?
16. बावड़ी क्या है? प्रकाश डालिए।
17. खड़ीन क्या है? प्रकाश डालिए।
18. भाखड़ा नाँगल परियोजना का वर्णन कीजिए।
19. राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक को क्यों अपनाया गया था?
20. बीसलपुर परियोजना पर प्रकाश डालिए।

निबंधात्मक प्रश्न–

21. राजस्थान में जल संरक्षण के विविध रूपों के बारे में वर्णन कीजिए।
22. राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में वर्णन कीजिए।
23. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के बारे में वर्णन कीजिए।
24. भारत सरकार किन्हीं दो प्रमुख परियोजनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए।

अध्याय 9

भारतीय कृषि

परिचय–

भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कुल जनसंख्या का 54.6 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है तथा देश के सकल घरेलू उत्पात का 17.4 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है । भारत में कृषि कार्य जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है जिसमें कृषक अपनी परम्परागत तकनीक के द्वारा कृषि भूमि पर उदर पूर्ति हेतु खाद्यान्न फसलों को उगाता है, जिसमें अतिरिक्त भाग को बेच कर अन्य आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करता है। भारत में कृषि कार्य लगभग सात हजार वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो तथा सरस्वती सिन्धु सभ्यता से होता रहा है। इस कृषि कार्य पर समय काल तथा परिस्थिति के प्रभाव के कारण इसके स्वरूप तथा विविध आयामों में परिवर्तन होता रहा हैं। इस कारण से भारतीय कृषि के विविध स्वरूप है इन विविध स्वरूपों को निम्न आधारों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

भारतीय कृषि के विविध रूप

01. भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर रूप–

भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर तीन भागों में बाटाँ गया है –

01. खरीफ फसल
02. रबी फसल
03. जायद फसल

अ. खरीफ फसल– ऐसी फसलें जो जून–जुलाई में बोयी जाती है तथा अक्टूबर–नवम्बर में काटी जाती है। ऐसी फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, मूँगफली, मूँग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, इत्यादि प्रमुख है। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर होती है, परन्तु वर्तमान में कुछ भागों में सिंचाई के द्वारा भी बुआई की जाती है ।

ब. रबी– ऐसी फसलें जो अक्टूबर–नवम्बर में बोई जाती है तथा मार्च–अप्रैल में काटी जाती है। ऐसी फसलों में गेहूँ, चना, जौ, तिलहन (अलसी, सरसों) जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल की फसलें प्रमुख है। इसमें अधिकांश फसलें सिंचाई के विविध स्रोतों से उत्पादित होती है ।

स. जायद – इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां एवं चारे की फसलें होती हैं जिसे फरवरी–अप्रैल में बोई जाती है जून–जुलाई में काटी जाती है। इसमें तरबूज, लौकी, ककड़ी खीरा आदि की फसलें ली जाती हैं।

02.भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार रूप–

- खाद्यान्न फसलें – ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता हो, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ व दालें इत्यादि प्रमुख है।
- व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें – ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता हो इन्हें मुद्रादायिनी फसलें कहा जाता है, इसमें गन्ना, कपास, जूट, तम्बाकू तथा तिलहन आदि फसलें सम्मिलित की जाती है ।
- बागानी फसलें – ऐसी फसलें जिसे विशाल बागानों में उत्पादित की जाती हो तथा पेय व औद्योगिक कार्यों में उपयोग में ली जाती हो जैसे चाय, काफी, रबड़, सिनकोना, गर्म मसाले इत्यादि।
- उद्यान फसलें –इसमें फल व सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है।

भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें –

01.गेहूँ–

उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल जो भारत के समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है जिसके लिए 100 से 250 सेन्टीग्रेड तापमान तथा 25 से 75 सेन्टीमीटर वर्षा तथा हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत का 70 प्रतिशत गेहूँ उत्पादन पंजाब (21%), हरियाणा (6.17%) उत्तरप्रदेश (32.68%) तथा अन्य राज्यों में मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार में किया जाता है। राजस्थान में गेहूँ का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा आदि में किया जाता है। भारत गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन व अमेरिका के

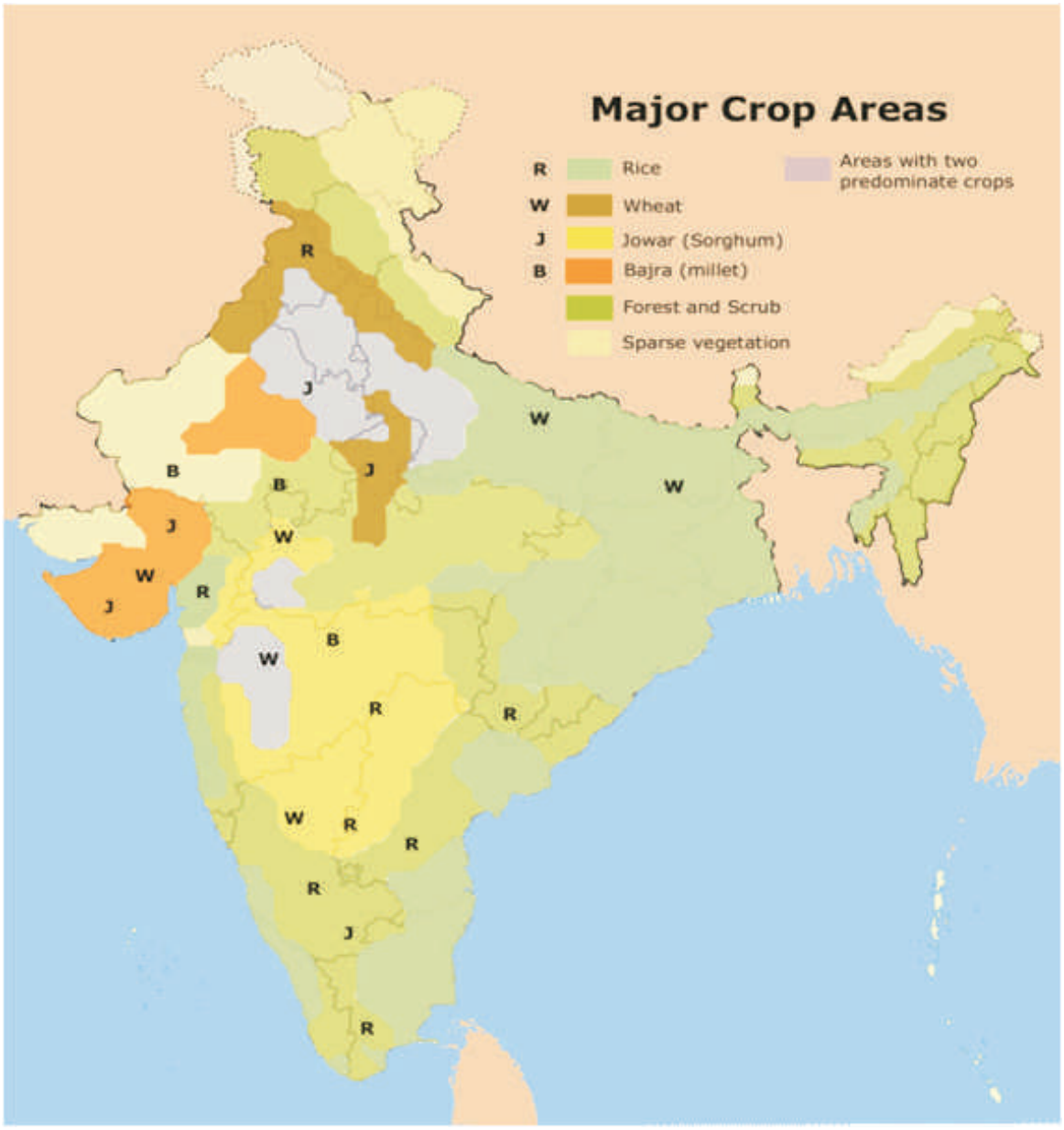

भारत में प्रमुख फसलों का वितरण

बाद तीसरा बड़ा देश है। भारत में हरित क्रान्ति के प्रभाव से उत्पादन, उत्पादकता तथा उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के कारण से आज देश आत्मनिर्भर है।

02.चावल–

चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। यह फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। इस कारण यह खरीफ की मुख्य फसल है। भारत में चावल की पैदावार उष्ण कटिबंधीय भागों में जहाँ पर तापमान 190 से 270 सेन्टीग्रेड तथा वर्षा 75 से 200 सेन्टीमीटर के मध्य होती हो, उन भागों में की जाती है, इस फसल के उत्पादन के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी दोमट तथा कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर में चावल की तीन फसलों अमन (मानसून कालीन), ओस (शीत कालीन), बोरो (ग्रीष्म कालीन) को पैदा किया जाता है। यद्यपि देश का 86 प्रतिशत उत्पादन अमन अर्थात मानसून काल में होता है, इस कारण इसे खरीफ की फसलों की श्रेणी में रखा गया है देश में चावल के कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत भाग पं. बंगाल (15.22%), आन्ध्रप्रदेश (14.3%), उत्तरप्रदेश (11.78%), उड़ीसा (9.2%), बिहार (8.0%), तमिलनाडु (8.2%) तथा अन्य राज्यों में मध्यप्रदेश (8.1%) आसाम, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र, पंजाब में किया जाता है । राजस्थान में चावल का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा व बूंदी में सिंचाई के द्वारा अल्प मात्रा में होता है। भारत चावल के

उत्पादन की दृष्टि विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है ।

03.मक्का–

यह खाद्यान्न फसल के साथ औद्योगिक फसल है, जो स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, साथ ही चारे तथा खाद्यान्न के रूप में भी उपयोग में ली जाती है भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद यह दूसरी प्रमुख खरीफ की फसल है, जिसे 17वीं. सदी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। मक्का की फसल के लिए 120 से 350 सेन्टीग्रेड तापमान तथा वर्षा 50 से 100 सेन्टीमीटर तथा नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जिसमें जल निकासी पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी दशा अच्छी मानी जाती है। देश में मक्का के कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत भाग आन्ध्रप्रदेश (19.3%), कर्नाटक (16.78%), राजस्थान (10.34%), उत्तरप्रदेश (10%), गुजरात (7.0%) तथा मध्यप्रदेश पंजाब में उत्पादित की जाती है। शेष उत्पादन देश के अन्य राज्यों में किया जाता है। राजस्थान में मक्का का उत्पाादन कोटा, बूंदी ,बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़, अजमेर, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में किया जाता है। भारत मक्का के उत्पादन की दृष्टि से विश्व का दसवां बड़ा देश है। परन्तु इस फसल का उत्पादन कम होने के कारण इसका निर्यात नहीं किया जाता है।

04.बाजरा–

इस फसल को चारा तथा खाद्यान्न दोनों के लिए उत्पादित किया जाता है। बाजरा की खेती गर्म तथा शुष्क जलवायु में जून से अक्टूम्बर के मध्य की जाती है। यह खरीफ की फसल है जिसे 250 से 350 सेन्टीग्रेड तापमान तथा वर्षा 40 से 60 सेन्टीमीटर तथा हल्की मिट्टी जिसमें जल निकासी की उपयुक्त दशा वाले भागों में बोया जाता है, साथ ही यह सभी प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है। देश में कुल बाजरा के उत्पादन का, राजस्थान (42%), महाराष्ट्र (20%), गुजरात (12.5%), उत्तरप्रदेश (11%) व शेष भाग अन्य राज्यों में आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक व पंजाब में किया जाता है। राजस्थान में बाजरा का उत्पादन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, जयपुर तथा जालोर जिलों में किया जाता है। भारत का उत्पादन की दृष्टि विश्व में प्रथम स्थान है।

भारत की प्रमुख दलहन फसलें (दालें) –

भारत की अधिकांशतः जनसंख्या शाकाहारी है। इस कारण प्रोटीन के स्रोत के रूप में दालों का उपयोग किया जाता है। साथ ही दलहन की फसलों को किसानों द्वारा भूमि की उर्वरता बनाए रखने के कारण भी बोया जाता रहा है। भारत में दालें खरीफ तथा रबी दोनों मौसम में बोई जाती है। मूंग, मोठ, उड़द, अरहर आदि खरीफ के मौसम तथा मटर, चना, मसूर आदि रबी के मौसम में उत्पादित की जाती है। भारत में दालों के उत्पादन में भी एक तिहाई भाग चने की दाल का है। यह मुख्यतः उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, प. बंगाल के मैदानी भागों में पैदा की जाती है। राजस्थान में चना का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर के नहरी सिंचाई वाले भागों में किया जाता है। चने के बाद दूसरी प्रमुख दलहन फसल अरहर है, जो कि ज्वार बाजरा व राई के साथ बोई जाती है। इस फसल का उत्पादन महाराष्ट्र (प्रथम), उत्तरप्रदेश (द्वितीय), कर्नाटक (तृतीय), बिहार, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश में किया जाता है।

उड़द तथा मूंग को ज्वार, बाजरा व कपास के साथ प्रायद्विपीय भागों में बोया जाता है। राजस्थान मूंग के उत्पादन में

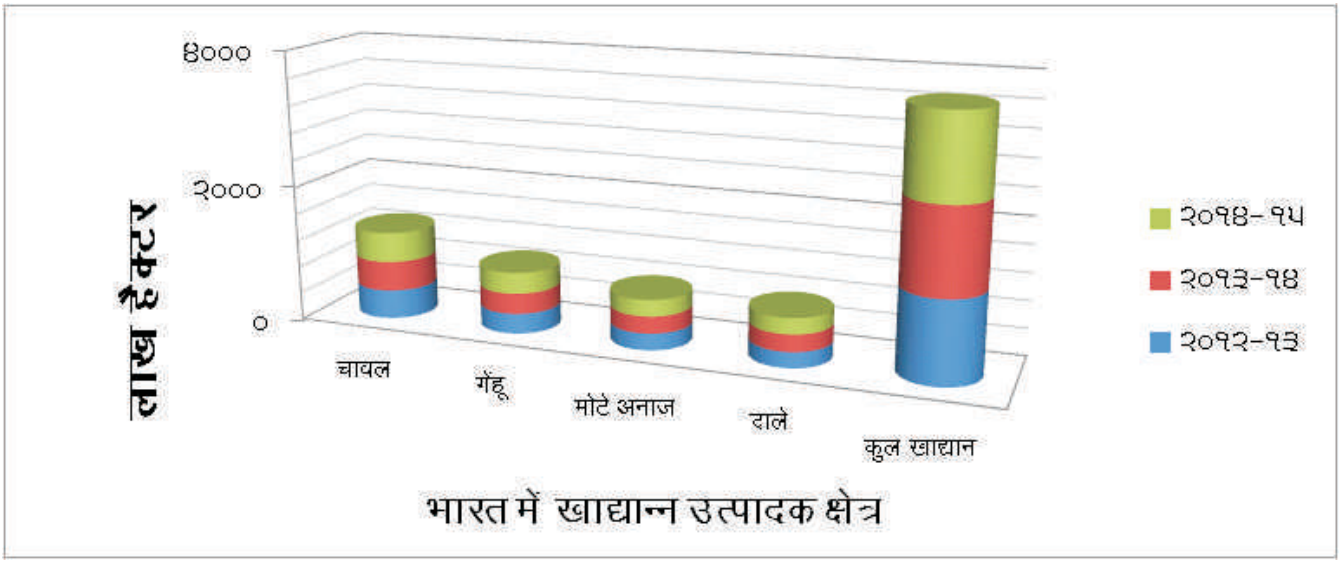

भारत में खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र

देश में प्रथम है। यहां पर मूंग का उत्पादन अर्द्ध शुष्क मरूस्थलीय भागों में जालोर, नागौर, जोधपुर व पाली में किया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान में उड़द को हाड़ौती में कोटा, बून्दी, झालावाड़, तथा मेवाड़ में चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, तथा दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा में बोया जाता है। मसूर की दाल को रबी की फसलों के साथ पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर व धौलपुर में बोया जाता है ।

भारत की प्रमुख मुद्रादायिनी या वाणिज्यिक या नकदी फसलें–

भारत में कुल कृषि भूमि के एक चौथाई भाग पर मुद्रादायिनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये फसलें जहां किसानों की आय का साधन है वहीं उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है। इन व्यावसायिक फसलों में गन्ना, कपास, तिलहन जूट व तम्बाकू प्रमुख है।

01.गन्ना–

गन्ना भारतीय मूल का पौधा व बाँस वनस्पति का वंशज है। यह जहाँ देश की व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है वहीं उत्पादन तथा उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से भी भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। भारत विश्व के 50 प्रतिशत गन्ने का उत्पादन करता है। भारत में गन्ने का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय भागों में किया जाता है। गन्ने के उत्पादन के लिए 150 से 400 सेन्टीग्रेड तापमान तथा 100 से 200 सेन्टीमीटर वर्षा तथा नदी घाटी क्षेत्रों की नमी युक्त चिकनी, दोमट तथा कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक उतरी भारत जबकि उत्पादन या पैदावार की दृष्टि से दक्षिणी भारत

अग्रणी है। क्योंकि दक्षिण भारत की आर्द्र जलवायु गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाती है जिससे उत्पादन अधिक होता है भारत में गन्नें के प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश व गुजरात प्रमुख है। राजस्थान में गन्ना उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ व बून्दी में पैदा किया जाता है । भारत में गन्ने का उपयोग गुड़, चीनी व एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है

02.कपास–

भारत में सूती वस्त्र के प्रयोग के सम्बन्ध में उल्लेख

भारत में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन

कृषिगत फसलें	क्षेत्र लाख हैक्टेयर			उत्पादन (मिलियन टन)			उत्पादकता किलोग्राम प्रति हैक्टर		
वर्ष	2012.13	2013.14	2014. 15	2012.13	2013.14	2014. 15	2012.13	2013.14	2014. 15
चावल	427.54	441.36	438.56	105.24	106.65	104.8	2461	2416	2390
गेंहू	300.03	304.73	309.69	93.51	95.85	88.94	3117	3145	2872
मोटे अनाज	247.57	252.2	241.49	40.04	43.29	41.75	1617	1717	1729
दाले	232.56	252.13	230.98	18.34	19.25	17.2	789	764	744
कुल खाद्यान्न	1207.7	1250.42	1220.72	257.13	265.04	252.69	1996	2010.5	1933.75

मनुस्मृति तथा ऋग्वेद में मिलता है जो यह दर्शाता है कि भारतीयों को कपास से सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान प्राचीन समय से रहा है। देश की कुल कृषि भूमि के 6.7 प्रतिशत भाग पर कपास की फसल पैदा की जाती है। भारत में कपास खरीफ के मौसम में बोया जाता है। इस फसल के लिए तापमान 200 से 350 सेन्टीग्रेड के मध्य तथा वर्षा 80 से 150 सेन्टीमीटर तथा गहरी तथा काली मिटटी व चूने व पोटाश की मात्रा वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। भारत में कपास की तीन किस्में बोई जाती हैं।

1. लम्बे व महीन रेशे वाली कपास (अमेरिकन कपास) जो कि कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत है जिसका पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में उत्पादन होता है।
2. मध्यम रेशे वाली कपास जो कि कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत है जिसका गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में उत्पादन होता है।
3. छोटे रेशे वाली कपास जो कि कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत है जिसे देश के सभी राज्यों में अल्प मात्रा में बोया जाता है।

देश में कपास उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर व तीसरे स्थान पर आन्ध्रप्रदेश हैं। कपास का उत्पादन माँग से कम होने के कारण तथा माँग की अधिकता के कारण अमेरिका, सूडान, केनिया, तथा मिश्र से आयात करता है। राजस्थान में कपास का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बून्दी तथा झालावाड़ में किया जाता है ।

भारत में कपास उत्पादक तथा सम्बधित क्षेत्र

03.तिलहन–

भारत में विश्व के 10 प्रतिशत तिलहन का उत्पादन किया जाता है। तिलहन फसलें खरीफ तथा रबी दोनों मौसम में उत्पादित की जाती है। भारत में तिलहन की मुख्य फसलों के रूप में मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरण्डी, सोयाबीन है। मूंगफली तथा सरसों दोनों फसलें कुल तिलहन उत्पादन का 80 प्रतिशत भाग रखती है।

• मूंगफली–

यह ब्राजील मूल की फसल है। विश्व का 30 प्रतिशत भाग भारत में ही उत्पादित किया जाता है जो भारत में खरीफ के मौसम में बोई जाती है। देश की कुल तिलहन फसल का 45 प्रतिशत भाग मूंगफली से प्राप्त किया जाता है। देश में मूंगफली की 85 प्रतिशत पैदावार गुजरात (प्रथम), आन्ध्रप्रदेश (द्वितीय), तमिलनाडु (तृतीय), महाराष्ट्र (चतुर्थ) तथा कर्नाटक राज्यों में होती है। राजस्थान में चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ तथा राजस्थान नहर के सिंचाई क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है।

• सरसों –

विश्व की 70 प्रतिशत सरसों भारत में उत्पादित की जाती है तथा देश की कुल तिलहन फसल का 35 प्रतिशत भाग सरसों से प्राप्त किया जाता है। देश की 85 प्रतिशत सरसों उतरी भारत में उत्पादित की जाती है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का 41 प्रतिशत भाग रखने के कारण प्रथम स्थान पर है। यह उत्तरप्रदेश (द्वितीय), मध्यप्रदेश (तृतीय), गुजरात (चतुर्थ), तथा पंजाब हरियाणा में भी पैदा की जाती है। राजस्थान में अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर तथा राजस्थान नहर के सिंचाई क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है।

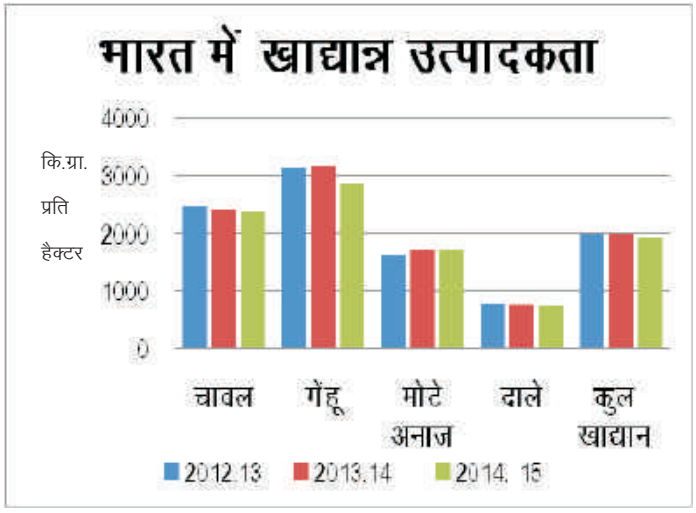

• अन्य तिलहन फसलें –

इनमें अरण्डी जो मशीनों में स्नेहक (लूब्रीकेंट), साबुन बनाने तथा चमड़ा शोधन के काम में ली जाती है। अरण्डी उत्पादन का 65 प्रतिशत गुजरात तथा 25 प्रतिशत राजस्थान में किया जाता है। देश में सोयाबीन उत्पादन का 70 प्रतिशत मध्यप्रदेश, 20 प्रतिशत महाराष्ट्र व 10 प्रतिशत भाग राजस्थान में पैदा होता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान

1. रोजगार का साधन–

कृषि भारत में 55.6 प्रतिशत जनसंख्या का प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का साधन है। कृषि सहायक कारकों जैसे पशुपालन, मत्स्यपालन व वानिकी रोजगार के साथ उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करती है जो कि अप्रत्यक्ष आजीविका स्रोत है।

2. सकल घरेलू उत्पाद में सहायक–

भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सहायक कारकों का योगदान अधिक रहा है। 1951 में जो योगदान 1993–94 की कीमतों पर 55.11 प्रतिशत था वह 1990 में 44.26 प्रतिशत रह

भारत में मुद्रादायिनी फसलों का उत्पादन

कृषिगत फसलें	क्षेत्र लाख हैक्टेयर			उत्पादन (मिलियन टन)			उत्पादकता किलोग्राम प्रति हैक्टर		
वर्ष	2012.13	2013.14	2014. 15	2012.13	2013.14	2014. 15	2012.13	2013.14	2014. 15
तिलहन	264.84	280.51	257.27 7	30.94	32.74	26ण्68	1168	1168	1037
गन्ना	49.99	49.93	51.44	341.20	352.14	359.33	68254	70522	69857
कपास	119.77	119.60	130.83	34.22	35.90	35.48	486	510	461

नोट–कपास की एक गांठ 170 किलो ग्राम की होती है। इसमें उत्पादन लाख गांठों में है।
(यह आंकडे कृषि मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 से लिए गये हैं।)

गया। वर्ष 2007–08 में 1999–2000 की कीमतों पर 17.8 प्रतिशत तथा 2015–16 में 2011–12 की कीमतों पर 15.35 प्रतिशत रह गया। इस कमी का कारण औद्योगिक विकास में द्वितीय व तृतीय क्षेत्रों में उत्तरोतर वृद्धि रहा है।

3. विदेशी व्यापार में योगदान–

भारत वैश्विक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2.07 प्रतिशत योगदान रखता है। भारत कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से विश्व का दसवां बड़ा देश है। यह भारत के कुल निर्यात का चौथा बड़ा सेक्टर है। निर्यात के रूप में चाय, चीनी, तिलहन, तम्बाकू, मसाले, ताजे फल व बासमती चावल आदि प्रमुख उत्पाद है। अन्य कृषि सामग्री जैसे जूट, कपड़े, मुर्गीपालन आदि उत्पाद भी इसमें सम्मिलित है, जबकि आयात में खाद्यान्न सम्मिलित किया जाता है।

4. उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति–

भारतीय कृषि आधारित उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, जूट उद्योग, रबड़ उद्योग तथा मसाला उद्योग को कच्चा माल कृषि फसलों से मिलता है।

5. औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार–

भारत की 60 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो कि कृषि पर निर्भर है। कृषि से सम्बन्धित यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, जुताई उपकरण तथा खाद व कीटनाशकों के लिए यह क्षेत्र बाजार उपलब्ध कराता है।

भारतीय कृषि का आकलन करें तो हम यह पायेंगे कि कृषि जहाँ भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है वहीं रोजगार तथा आय सृजन का बड़ा साधन है, परन्तु कृषि पर मानसून की निर्भरता तथा उसकी अनिश्चितता व अनियमितता तथा बाढ़ व सूखे की विभिषिका के कारण उत्पादन कम होता है। यदि भारत में कृषि का विकास करना है तो हमें कृषि के प्राचीन स्वरूप व उत्पादन का जीवन निर्वाहन प्रयोजन में परिवर्तन करना होगा साथ ही कृषको में अशिक्षा, गरीबी, तथा ऋणग्रस्तता को दूर करना होगा, तभी भारतीय कृषि व कृषकों का विकास होगा।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

01. भारत की 54.6 प्रतिशत जनसंख्या वर्तमान में भी कृषि तथा सम्बन्ध क्षेत्रों से आजीविका प्राप्त करती है।

02. भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है।

03. स्थानान्तरित अथवा झूंमिग कृषि –भारत के आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ जंगलों को जलाकर उस स्थान पर कृषि कार्य किया जाता है।

04. औद्योगिक फसलें– ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक ऋतुओं कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता हो, इन्हें मुद्रादायिनी या नकदी फसलें भी कहा जाता है।

05. भारत में हरित क्रान्ति के प्रभाव से गेहूँ की फसल के उत्पादन, उत्पादकता तथा उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई हैं।

06. मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से फसलों को जल प्रदान किया जाता है जिसे सिंचाई कहा जाता है।

07. भारत में चावल की तीन फसलों अमन (मानसून कालीन), ,ओस (शीतकालीन) , बोरो (ग्रीष्म कालीन) को पैदा किया जाता है।

08. मक्का की फसल को चारे, खाद्यान्न व औद्योगिक तीनों रूप में उपयोग में लिया जाता है। भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद दूसरी प्रमुख खरीफ की फसल है।

09. दक्षिण भारत की आर्द्र जलवायु के कारण गन्ने की उत्पादकता दक्षिण भारत में अधिक है।

10. लम्बे व महीन रेशे वाली कपास (अमेरिकन कपास) जो कि कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत है। यह पंजाब, हरियाणा , राजस्थान में नरमा के नाम से जानी जाती है।

11. देश की 41 प्रतिशत सरसों राजस्थान में उत्पादित की जाती है राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग सरसों उत्पादन में अग्रणी है ।

अभ्यास प्रश्न

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने रुपों में विभाजित किया है ?
2. भारत में बागानी फसलें कौन–कौन सी है ?
3. मुद्रादायिनी फसलों से क्या आशय है ?
4. भारत में चावल की कितनी फसलें ली जाती है ?
5. राजस्थान में शुष्क कृषि किन जिलों में की जाती है?
6. सिंचित कृषि से क्या तात्पर्य है ?
7. भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किन राज्यों में होता है ?
8. नरमा से आप क्या समझते हैं ?

लघूत्तरात्मक प्रश्न–

9. भारत में कृषि फसलों को उपयोग के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए।
10. मक्का की फसल के बारे में वर्णन कीजिए।

11. तिलहन की फसलों में सरसों का योगदान बताइए।
12. स्थानान्तरित कृषि पर प्रकाश डालिए।
13. मुद्रादायिनी फसलों में कपास के योगदान का वर्णन कीजिए।
14. बाजरे की फसल के बारे में वर्णन कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न –

15. भारत में कृषि फसलों में दलहन का योगदान बताइए।
16. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान पर प्रकाश डालिए।
17. भारत में कृषि को प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों के अनुसार वर्गीकृत कीजिए।
18. भारत में खाद्यान्न फसलों पर प्रकाश डालिए।

अध्याय 10

खनिज व ऊर्जा संसाधन

परिचय – खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गये रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं जो कि मानव के लिए उपयोगी होते है, उसे खनिज संसाधन कहा जाता है ,जिसके निर्माण में भौतिक तथा जैविक कारकों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। इस कारण इन्हें अजैविक तथा जैविक खनिज के रूप में विभाजित किया जाता है, जैसे– कोयला व प्राकृतिक तेल जैविक खनिज में तथा लोहा, मैगनीज अजैविक खनिजों की श्रेणी मे आते हैं। भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से सम्पन्न देश है। यहां की भूगर्भिक संरचना ने विविध खनिजों के पदार्थों को प्रदान किया है। देश के 96 प्रतिशत खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, बह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिण तटीय प्रदेश में स्थित है।

भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है–

01. धात्विक खनिज–

ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो, उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। इसे भी दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे– लौह अयस्क से लौह धातु की मात्रा का पाया जाना तथा धातु की प्रधानता के आधार पर।

अ. लौह धातु प्रधान – जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पायी जाती है, जैसे लौह अयस्क, क्रोमाईट, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि।

ब. अलौह धातु प्रधान– जिसमें लोहे के अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, ताम्बा, जस्ता, बाक्साइड, टिन, मैग्नीशियम आदि हैं।

02. अधात्विक खनिज–

ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं होता हो। जैसे– चूना पत्थर, डालोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि हैं।

ऊर्जा खनिज – ऐसे खनिज जो उष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हों। इसे भी दो प्रकार से विभाजित किया जाता है–

अ. ईंधन खनिज– जिसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है जिसमें कोयला , पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि।

ब. अणु शक्ति खनिज– जिसमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट आदि।

भारत में धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रकार के 89 खनिज पाये जाते हैं, जिसमें 52 अधात्विक, 10 धात्विक, 23 सूक्ष्म खनिज जैसे– निर्माण सामग्री तथा 04 ईधन खनिज है जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत तथा औद्योगिक उत्पादन का 11 प्रतिशत है।

भारत के प्रमुख खनिज–

01. लौह अयस्क– वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तम्भ आग्नेय चटटानों से प्राप्त किया जाता है। विश्व में भण्डार की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्र भारत है। भारत में लौह अयस्क के पांच प्रकार मैग्नटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट तथा लेटेराइट मिलते हैं। भारत में कुल 2300 करोड़ टन लोहे के भण्डार अर्थात विश्व का 20 प्रतिशत भाग है, जिसमें मैग्नेटाइट (लोहांश मात्रा 60 से 70 प्रतिशत के मध्य) के 8 % भाग तथा हेमेटाइट (लोहांश मात्रा 70 से 80 प्रतिशत के मध्य) के 85 % भाग तथा 7 % भाग अन्य प्रकार के हैं। भारत में लोहे का उत्पादन तथा वितरण इस प्रकार से है–

उड़ीसा– देश के कुल भण्डार का 30 प्रतिशत तथा उत्पादन का 28 प्रतिशत उड़ीसा राज्य में होता है। यहां पर हेमेटाईट प्रकार के लौह अयस्क के भण्डार मयूरभंज, सुन्दरगढ तथा क्योझर जिलों में स्थित है। मयूरभंज जिले गुरूमहिसीनी, सुलेमपात तथा बादाम पहाड़ तथा क्योझर जिले में बासपानी, ठकुरानी, किरूबुरू है। यहां से लौह अयस्क का निर्यात विशाखापटनम व पाराद्वीप बन्दरगाह से जापान तथा अन्य देशों को किया जाता है।

कर्नाटक – देश के कुल भण्डार का 25 प्रतिशत तथा उत्पादन का 26 प्रतिशत कर्नाटक राज्य में होता है। यहां पर हेमेटाईट प्रकार के लौह अयस्क के भण्डार बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग तथा शिमोगा जिलों में स्थित है। चिकमंगलूर जिले बाबाबूदन पहाड़ी, कालाहाड़ी केमनगुडी कद्रेमुख है। इस लौह अयस्क का शोधन भद्रावती तथा विजयनगर कारखानों में किया जाता है।

छत्तीसगढ़– देश का तीसरा बड़ा राज्य है। यहां देश के कुल भण्डार का 16 प्रतिशत तथा उत्पादन का 15.02 प्रतिशत इस

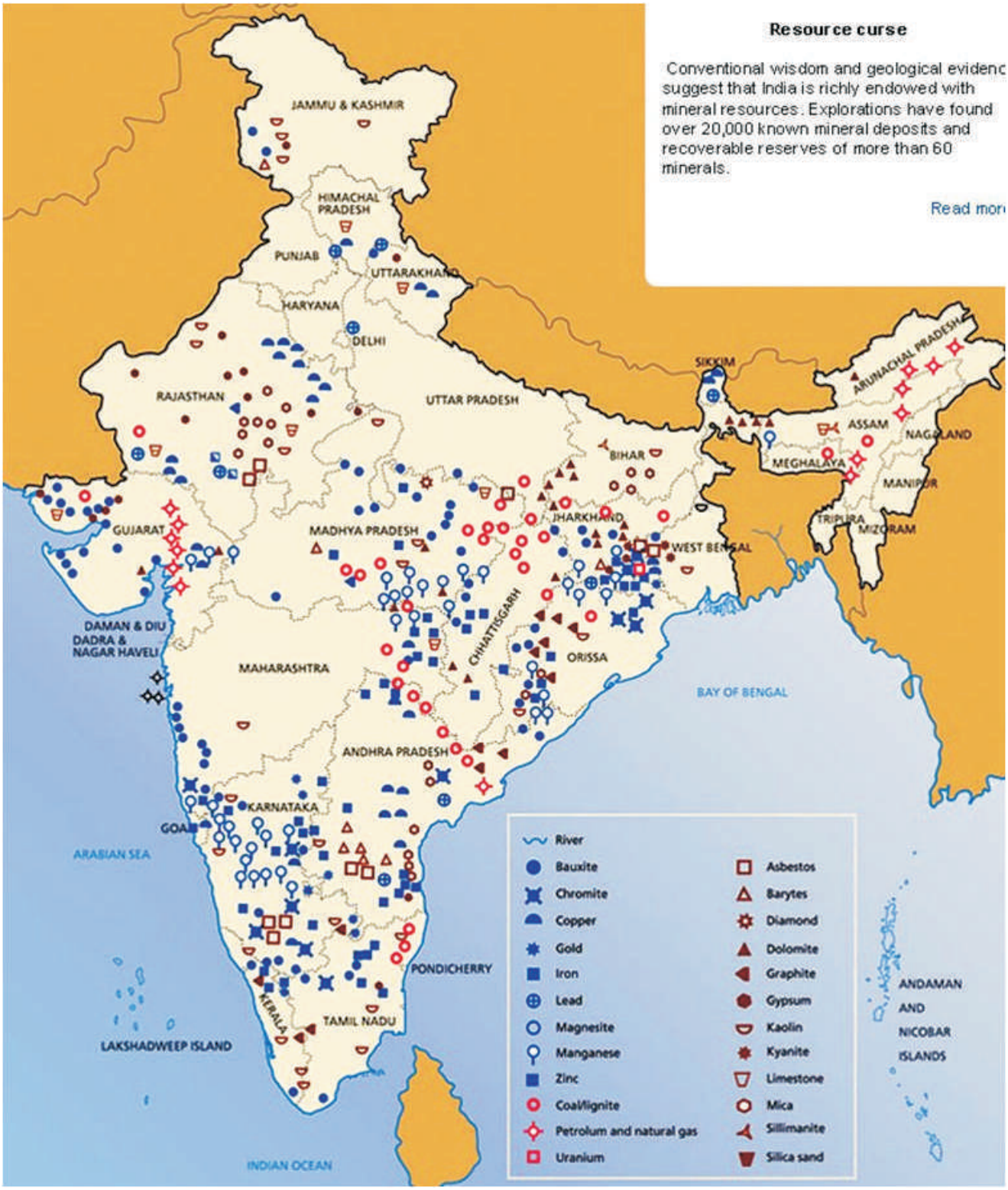

राज्य में होता है। यहां पर हेमेटाईट प्रकार के लौह अयस्क के भण्डार बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, बिलासपुर तथा राजनन्दगांव जिलों में स्थित है। इन जिलों में धल्ली, राजहरा श्रेणी, बेलाडिला क्षेत्र, रावघाट क्षेत्र जगदलपुर क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस लौह अयस्क का शोधन भिलाई कारखाने में किया जाता है तथा शेष लौह अयस्क को विशाखापटनम बन्दरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। बेलाडिला खान एशिया की सबसे बडी लौह अयस्क खान है।

गोवा – देश का चौथा बड़ा राज्य है। यहां देश के कुल उत्पादन का 13.15 प्रतिशत इस राज्य में होता है। यहां पर लिमोनाइट

राजस्थान में तांबा के भण्डार

जिला	क्षेत्र	भण्डार (लाख मी.टन)
अजमेर	हनोतिया, सेवर	5.0
अलवर	भगोनी	1.42
भीलवाड़ा	पुर–दरीबा, बनैडा, देवपुरा ,देवतलाई	7.0
चितौड़	वारी, आकोला	1.00
झुंझुनूं	कोलीहान, बसवास, डोलामाला, चिचोली, टुण्डा अंकवाली	105.0
राजसमन्द	मजेरा, कारोली, गोपाकुरा	0.48
सिरोही	गोलिया, पिपेला, देरी, बसन्तगढ़	4.2
उदयपुर	अजनी, बेदावल की पाल, चानी, नन्दवेल, अकोला	4.2

लेटेराइट तथा सिडेराइट घटिया किस्म का लोहा मैग्नीज के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। यहां लौह अयस्क के भण्डार पिरना आदेल, वाले अनेडा, कदनेम सुरला, तोसिल्ला बोरगाडोर क्षेत्रों में प्राप्त होता है। यहां से प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण लोहे को मार्मगोवा बन्दरगाह से विदेशों को निर्यात किया जाता है।

झारखण्ड– देश का पांचवां बडा राज्य है। यहां देश के उत्पादन का 10.10 प्रतिशत इस राज्य में होता है। यहां पर हेमेटाईट व मैग्नटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भण्डार सिंहभूमि तथा पलामू जिलों मे स्थित है। इन जिलों में नौआमुण्डी, गुआ व डाल्टनगंज क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस लौह अयस्क का शोधन कुल्टी तथा बर्नपुर कारखाने में किया जाता है। इसी राज्य में सबसे पहले लौह अयस्क का खनन कार्य हुआ था ।

अन्य राज्यों में आन्ध्रप्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, तमिलनाडु का सलेम जिला, राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर तथा हरियाणा में महेन्द्रगढ में प्राप्त होता है। भारतीय विदेशी व्यापार में लौह अयस्क का तीसरा प्रमुख निर्यात है जो जापान तथा यूरोपियन देशों को किया जाता है।

तांबा – भारत में धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायान्तंरित चट्टानों की नसों में सल्फाइट तथा चारकापाइराइट अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है, जो कि विद्युत उद्योग, बेतार उद्योग, प्रशीतलक उद्योग तथा विभिन्न उद्योगों में उपयोग होता है। भारत विश्व का 01 प्रतिशत भंडार है। भारत में 95 प्रतिशत तांबा मध्यप्रदेश में बालाघाट व बेतूल, झारखण्ड में सिंहभूमि, हजारी बाग तथा पलामू जिला, राजस्थान में झुंझुनूं, अलवर, राजसमन्द, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में, आन्ध्रप्रदेश में गुंटूर तथा कुर्नूल कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिलों में निकाला जाता है। भारत में तांबे की कोलिहान खान, मंधान खान, मोसाबानी खान, राखा आदि खानें प्रसिद्ध है। भारत में तांबे का शोधन का एकमात्र अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है। उत्पादन कम होने के कारण अपनी अधिक आपूर्ति हेतु भारत तांबे का विदेशों से आयात करता है।

राजस्थान में तांबा के भण्डार

बाक्साइड–

यह अयस्क है जो कि एल्युमिनियम बनाने के काम में आता है एल्युमिनियिम यह विद्युत उद्योग, मशीनरी उद्योग तथा बर्तन बनाने में उपयोग होता है। भारत में धारवाड़ व विध्यांचल की क्रम की लावा चटटानों से प्राप्त होता है।

विश्व में भण्डार की दृष्टि से पांचवां बड़ा राष्ट्र भारत है भण्डार का 95 प्रतिशत भाग उड़ीसा के कोरपुट, कालाहाडी जिलों में, झारखण्ड में रॉची, पलामू, गिरिडिह, लोहारदगा, मध्यप्रदेश में बालाघाट, कटनी, जबलपुर , गुजरात में खेडा , जामनगर, जूनागढ तथा कच्छ जिला, छतीसगढ़ में सरगुजा रायपुर व बिलासपुर , महाराष्ट में कोल्हापुर रत्नागिरि पुणे तथा अन्य राज्यों में कर्नाटक, गोवा व तमिलनाडु में स्थित है। देश का 80 प्रतिशत बाक्साइड एल्युमिनियम बनाने के काम आता है। इसी प्रकार उत्पादित माल की 60 प्रतिशत खपत भारत में हो जाती है। शेष माल को यूरोपियन तथा खाड़ी देशों को निर्यात कर दिया जाता है।

अभ्रक–

अभ्रक उत्पादन में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। विश्व का 70 से 80 प्रतिशत अभ्रक भारत में निकाला जाता है।

यहां मस्कोवाइट या रूबी अभ्रक तथा बायोराइट या गुलाबी अभ्रक आग्नेय व कायान्तरित चट्टानों से निकाला जाता है। यह उच्च ताप सहन करने तथा कुचालक प्रकृति का परतदार तथा चमकीला खनिज होता है, जो कि विद्युत कार्य, वायुयान उद्योग, सैन्य साज सामान में प्रयोग में आता है। भारत में अभ्रक के भण्डार का उपयोग कम होने के कारण सुरक्षित अवस्था है। इसके कुल भण्डार आन्ध्रप्रदेश (देश में प्रथम) के नल्लौर, गुटूर, कुडप्पा, राजस्थान (देश मे दूसरा स्थान) में भीलवाडा , अजमेर, जयपुर, उदयपुर व टोंक, झारखण्ड (देश में तीसरा) में हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडिह, धनबाद, बोकारो व पलामू में, बिहार में औरगाबाद, गया, नवादा, बेगूसराय तथा अन्य राज्यों में तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई तथा मध्यप्रदेश में बालाघाट व छिन्दवाडा जिलों में स्थित है ।

सीसा व जस्ता–

यह मिश्रित अवस्था में भारत की अरावली श्रृंखला की अवसादी व परतदार चटटानों में गैलेना अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है, जिसका उपयोग जस्ता, रसायन, शुष्क बैटरी बनाने जंग रोधक कार्यों के लिए तथा सीसे का उपयोग पीतल बनाने, सैन्य सामग्री, रेल इंजन सहित कई कार्यो में होता है। भारत में 95 प्रतिशत सीसे व जस्ता का भण्डार व उत्पादन राजस्थान में चितौड़, राजसमन्द, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में होता है। सीसे व जस्ते का शोधन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड जावर खान उदयपुर जिले के द्वारा किया जाता है। अन्य भण्डार आन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड, उडीसा तथा तमिलनाडु में स्थित है।

ऊर्जा खनिज –

ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे मानव सूर्य, जीवाश्म पदार्थ ,परमाणु घटकों से प्राप्त करता है। इसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत व परमाणु ऊर्जा आदि द्वारा परम्परागत रूप में उपयोग में लाया जाता है।

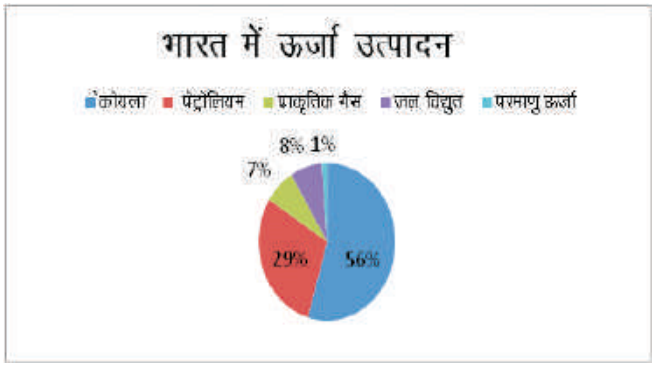

देश में इन संसाधनों को वितरण व उत्पादन निम्न प्रकार पाया जाता है–

01. कोयला –

भारत विश्व का चीन व अमेरिका के बाद तीसरा कोयला उत्पादक देश है। भारत में सर्वप्रथम कोयला 1814 में रानीगंज में निकाला गया था। इसके बाद में इसका विकास 19 शताब्दी में किया तथा देश के अन्य भागों में खोज तथा खनन कार्य किया जाने लगा। भारत में उपयोग में लिए जाने वाले कोयले को उसमें स्थित कार्बन की मात्रा के अनुसार निम्न प्रकार में विभाजित किया जाता है– ऐन्थ्रेसाइट(80 से 90%), बिटुमिनस, (75 से 80%), लिग्नाइट (35 से 50%) तथा पीट (15 से 35%) कोयला। भारत में 98.5 प्रतिशत भण्डार तथा 99 प्रतिशत कोयला उत्पादन गोडवाना कालीन अवसादी चटटानों में स्थित है, जो कि भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी–वर्धा क्षेत्र व ब्राहमणी, इन्द्रावती, कोयल, पंच नदी घाटिया क्षेत्र में स्थित है। यहां पर बिटुमिनस श्रेणी का कोयला 10 मी. से 30 मी. मोटी परतों के रूप में पाया जाता है।

भारत में टर्रशियरी कालीन निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला जो कि 15 से 60 लाख पूर्व निर्मित है जो कि कुछ भागों में चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है, इस प्रकार के कोयले के भंडार आसाम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा नागालैण्ड व राजस्थान में है।

राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है जो कि चूने की चट्टानों के साथ बाड़मेर के कपूरड़ी, जालिप्पा, गिरल, भाडखा, गूंगा तथा शिव तथा बीकानेर की बरसिंगसर, पलाना गुढा, बिठनोक, नागौर में मेड़ता, कसनउ, कुचेरा,

भारत में कोयले के भण्डार , उत्पादन तथा उत्पादन क्षेत्र

राज्य का नाम	देश के कुल भंण्डार का प्रतिशत	देश के कुल उत्पादन का प्रतिशत	प्रमुख क्षेत्र
झारखण्ड	28	22	झरिया ,बोकारो राजमहल देवगढ ,डाल्टनगंज
उडीसा	24	16	ढेकनाल सम्बलपुर तलचर सुन्दरगढ तथा ब्राहमणी घाटी
छतीसगढ	16	15	सरगुजा बिलासपुर रामगढ कोरबा विश्राम पुर
पं.बंगाल	11	6	रानीगंज वर्धमान बाकुण्डा पुरलिया वीरभूमि दार्जिलिग
मध्यप्रदेश	8	13	शहडौल छिन्दवाडा नरसिहपुरा बेतुल
तेलगाना व आन्ध्रप्रदेश	7	9	खम्माम आदिलाबाद वारगल सिगरेली कर्ल्लापल्ली
महाराष्ट्र	4	6	चन्द्रपुर यवतवाल नागपुर
उत्तर प्रदेश	0.50	0.15	सोनभद्र जिला
अन्य राज्य	2	6	पूर्वी राज्य व शेष भारत
टर्शयरी कोयला	0.50	7	आसाम का माकूम नजीरा ,राजस्थान मे पलाना कपूरडी बरसिगसर तथा तमिलनाडु मे नवेली प्रमुख है
भारत का कुल कोयला	100	100	

भारत मे कोयला उत्पादन

कोयला उत्पादन वर्ष	कोयला उत्पादन (दस लाख टन)
2012.13	556.40
2013.14	565.77
2014.15	612.44
2015.16	447.48

INDIA'S COAL BASINS AND FIELDS

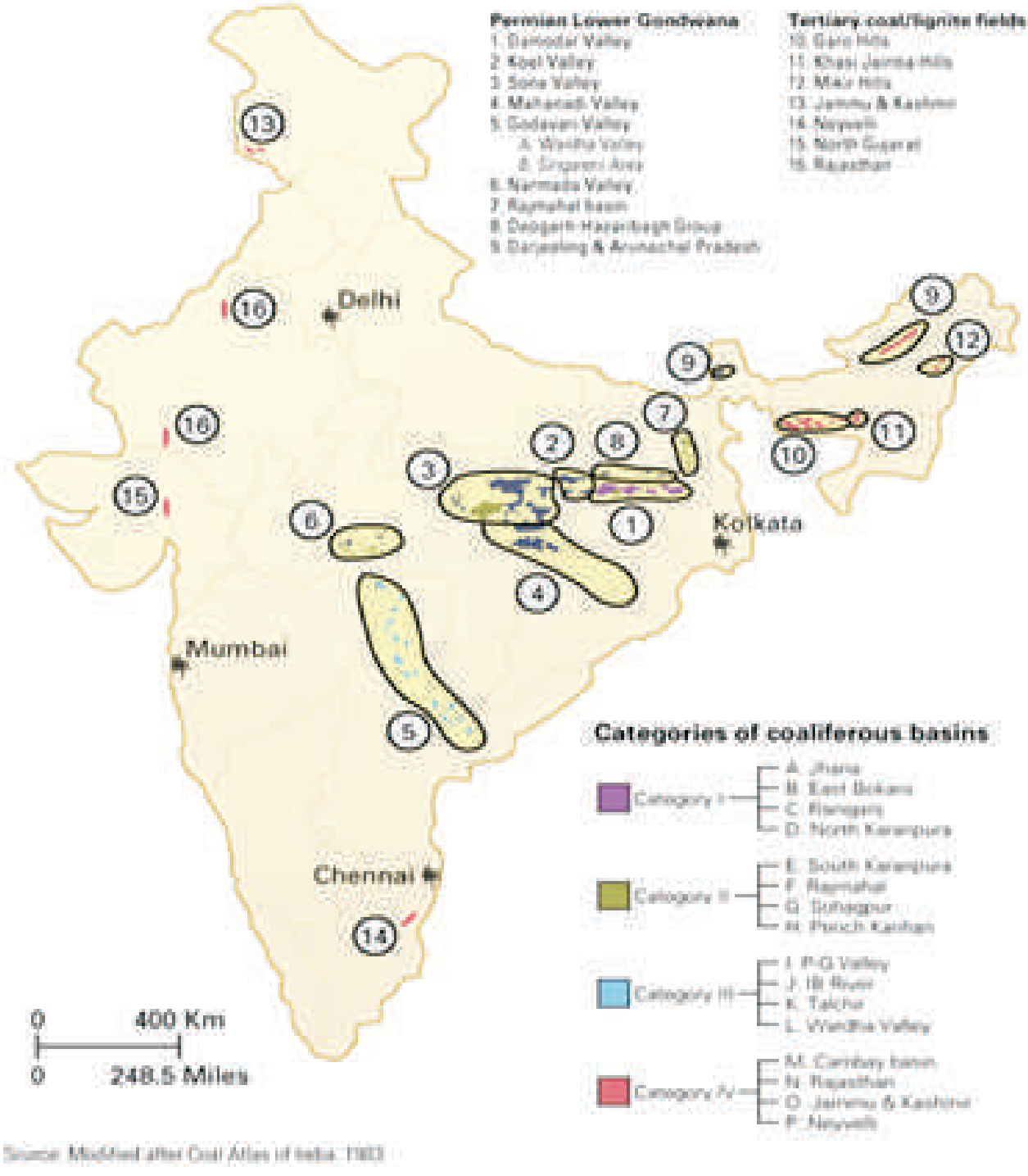

Source: Modified after Coal Atlas of India, 1983

भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र

राज्य का नाम	प्रमुख क्षेत्र
आसाम	डिगबोइ, लखीमपुर, हंसापुग, बदरपुर, मसीमपुर , पथरिया , नाहर काटिया, हुगरीगंज मोरेन
गुजरात	अंकलेश्वर क्षेत्र ,लुनेल क्षेत्र ,कलोल ,मेहसाना तथा अरब सागर मे अलियांबेट द्वीप क्षेत्र में
महाराष्ट्र	अरब सागर में बाम्बे हाई तथा बसई अपतटीय क्षेत्र में
राजस्थान	बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर
आन्ध्रप्रदेश	गेदावरी बेसिन में केलालुर तथा अमलापुर
तमिलनाडु	मदनम तट , नागपिटम , कोविकोलम

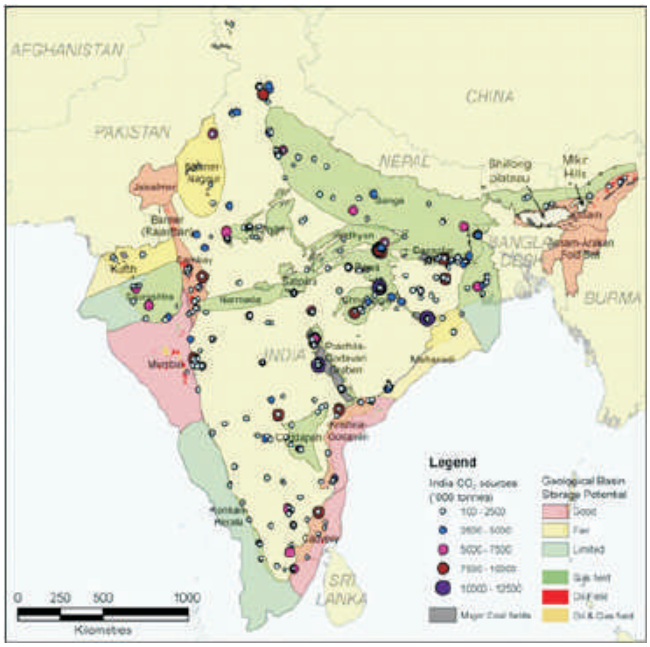

मातासुख में मिलता है। राजस्थान में लिग्नाईट के इस भण्डार का उपयोग स्थानीय तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए होता है ।

भारत में कोयले के भण्डार, उत्पादन तथा उत्पादन क्षेत्र

पेट्रोलियम पदार्थ – देश में 17.2 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत अवसादी चट्टानी भागों में स्पंज की भांति पाये जाने वाला तथा वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक

तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है जो कि प्राकृतिक गैस से नीचे मिलता है, जिसे परिवहन तथा मशीनरी क्षेत्र में उपयोग लिया जाता है। इसके भण्डार आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी व सुरमा घाटी, पं.बगाल में सुन्दर वन डेल्टा, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग, राजस्थान व सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमालय का तराई भाग, उत्तरी व मध्य गुजरात, मुम्बई बेसिन तथा गोदावरी तथा कावेरी डेल्टा क्षेत्र व अरब सागर में बाम्बे हाई प्रमुख हैं।

भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र

देश के कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत उत्पादन का महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात तथा राजस्थान में किया जाता है इस उत्पादित कच्चे तेल को देश की 24 बड़ी रिफायनरी को पाइपलाइन के माध्यम से गुवाहटी, बरोनी, बडौदरा, हल्दिया, मथुरा डिगबोई व जामनगर को भेजा जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस के भण्डार तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पं.बंगाल त्रिपुरा तथा अरूणाचल प्रदेश में है जिसका प्रबन्धन का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है यह कम्पनी देश की कुल प्राकृतिक गैस को विद्युत उत्पादत (38 प्रतिशत), उर्वरक निर्माण (33 प्रतिशत) शेष उद्योग तथा रसोई गैस के कार्य हेतु उपलब्ध करवाती है। देश का 91 प्रतिशत उत्पादन का महाराष्ट्र में, 71 प्रतिशत तथा 11 प्रतिशत गुजरात, आसाम 7 प्रतिशत तथा राजस्थान 2 प्रतिशत में किया जाता है ।

राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तथा गंगानगर जिलों में 12 ब्लाकों में मिलते है, जिसमें जैसलमेर ब्लाक, सांचोर–गुडामालानी ब्लॉक, बीकानेर –नागौर ब्लाक , बीकानेर –गंगानगर ब्लाक में संचित भंडार हैं। गुडामालानी तथा सांचौर ब्लाक में विदेशी कम्पनी केयर्न इण्डिया के द्वारा 91 कुंए खोदे गए हैं, जिसमें 12 कुओं में से 2005 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है।

परमाणु ऊर्जा खनिज–

परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम–338 तथा 235, 233, प्लूटोनियम–239 तथा थोरियम, बैरिलियम, जिरकन नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है। एक औंस यूरेनियम से 100

क्र.सं.	खनिज	क्षेत्रफल (हैक्टर)	उत्पादन (लाख टन)
1.	ताम्बा अयस्क	910708	18214.1600
2.	लौह अयस्क	5767432.59	53979.71
3.	सीसा जस्ता	7653776.82	123030.59
4.	चांदी	283.58085	26792.2735
5.	डोलोमाइट	457821.73	2299.00
6.	फैल्सफार	2308649.02	6905.51
7.	गारनेट	520.00	4.1600
8.	जिप्सम	2768313.48	14002.89
9.	जास्पर	470.00	4.94
10.	लिग्नाइट	10481795.36	98384.89
11.	लाइमस्टोन	61585483.19	116584.17
12.	अभ्रक	4255.50	56.61
13.	राक फास्फेट	1286673.00	25733.46
14.	सोपस्टोन	1699050.83	13562.79
15.	वुलसोनाइट	181941.00	1672.29

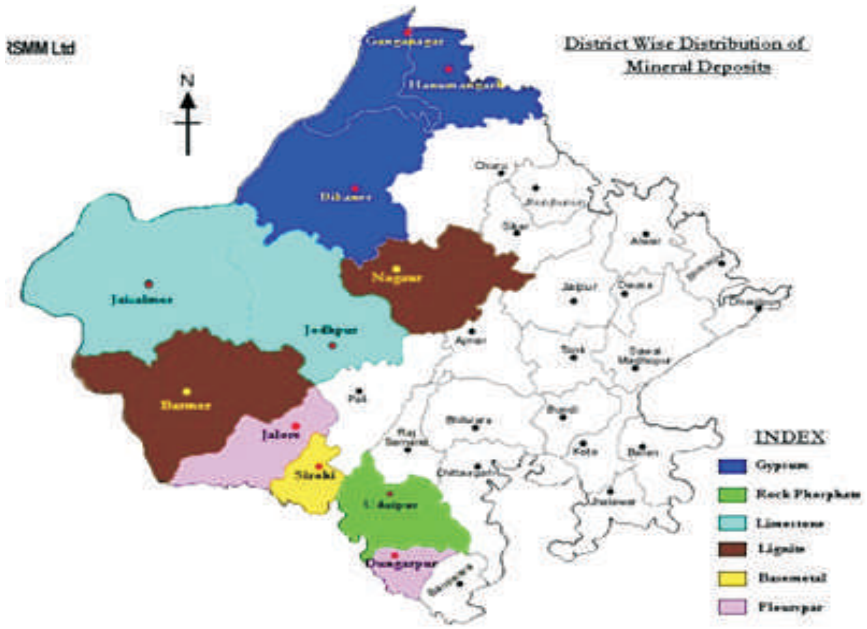

मिट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न होती है। यद्यपि यह ऊर्जा खर्चीली होती है, परन्तु इससे बनने वाली विद्युत सस्ती होती है। इस कारण 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा देश में 17 परमाणु रियक्टरों की स्थापना की गई। इन परमाणु रियक्टरों द्वारा देश में 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भारत में परमाणु खनिज के भण्डार में यूरेनियम धारवाड तथा आर्कियन चट्टानों में बिहार की सिंहभूमि, राजस्थान के अभ्रक के क्षेत्रों में पेग्ममटाइट शैलो में, केरल में समुद्रतटीय भागों में मानोजाईट चट्टानों में, थोरियम के भण्डार केरल तथा बिहार, इल्मेनाइट के भण्डार केरल की बालू में तथा बेरिलियम के भण्डार राजस्थान, बिहार तथा आन्ध्रप्रदेश में स्थित हैं।

राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थो का उत्पादन

वर्ष	कच्चा तेल उत्पादन (एम एम टी)	कच्चा तेल प्रतिशत वृद्धि	प्राकृतिक गैस उत्पादन (बी सी एम)	प्राकृतिक गैस उत्पादन प्रतिशत वृद्धि
2010–11	37.684	11.85	52.21	9. 9.94
2011–12	38.090	1.08	47.559	–8.92
2012–13	37.862	–0.60	40.679	–14.47
2013–14	37.788	–0.19	35.407	–12.96
2014–15	37.461	–0.87	33.656	–4.95
2015–16	37.046	–1.11	35.28	4.83

राजस्थान में प्रमुख खनिज उत्पादक जिले

क.स	खनिज	प्राप्ति क्षेत्र	महत्त्वपूर्ण जिला
1	ताम्बा	खो दरीबा (अलवर), देबारी सलूँम्बर (उदयपुर),भीम रेलमगरा (राजसमन्द),बीदासर(बीकानेर),खेतडी सिघाना (झुँझनू),	झुँझनू
2	सीसा जस्ता	जावर व राजपुरा देबारी (उदयपुर) रामपुरा आगूचा (भीलवाड़ा) पुर बनेड़ा, गुढा किशोरी दास में	भीलवाड़ा व उदयपुर
3	लौह अयस्क	मोरिजा बानोल (जयपुर), डाबला (झुझनू), नीमला रायसेला, नाथरा की पोल,थूर हुन्डैर, बासवाड़ा तथा भीलवाडा में।	जयपुर
4	अभ्रक	भीलवाडा , अजमेर , टोक, जयपुर व सीकर	अभ्रक
5	टगस्टन	डेगाना भाखरी (नागौर), अजमेर पाली सिरोही	नागोर
6	राक फास्फैट	दक्कन कोटडा तथा झामर कोटड़ा (उदयपुर) बिरमानिया (जैसलमेर) सीकर, जयपुर, पाली	उदयपुर
7	जिप्सम	जामसर व लूणकरणसर (बीकानेर) गोठ मागलोद (नागौर) मोहनगढ व नाचना (जैसलमेर)	नागौर
8	तामडा	राजमहल व कल्याण खान (टोंक) सरवाड तथा खरखारी अजमेर, महुवा तथा बागेंश्वर भीलवाडा में	टोंक
9	कोयला	पलाना, गुढा, बरसिगसर, रानेरी हाडला (बीकानेर) कपूरडी जालिप्पा व गिरला (बाडमेर) तथा मेड़ता नागोर	बीकानेर
10	पेट्रोलियम पदार्थ	गुडामालानी (बाड़मेर) जैसलमेर तथा गंगानगर जिलों	बाड़मेर
11	प्राकृतिक गैस	शाहगढ़ तनौट, मनिहारीटिबा, चिमनेवाला घोटाडू व गमनेवाला (जैसलमेर), बाघेवाला (बीकानेर)	जैसलमेर

राजस्थान में खनिज–

राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज जिसमें 44 प्रकार के बड़े तथा 23 प्रकार के लघु तथा 12 गौण खनिज पाये जाते हैं। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्यप्रदेश तथा छतीसगढ के बाद तीसरा बडा राज्य है जो देश का 22 प्रतिशत है। राजस्थान के कुछ नगर या कस्बे खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध है जैसे तांबानगरी (खेतड़ी) व संगमरमर नगरी (मकराना)। राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज हैं जिसमें हमें लगभग एकाधिकार प्राप्त है, जैसे संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, ताम्बा, बोलस्टोनाइट, जास्पर, फलोराइट, जिप्सम, मार्बल, ऐस्बेस्टास, राकफास्फेंट, चांदी, टंगस्टन तथा तामड़ा। राजस्थान में खनिजों का वितरण निम्न तालिका में है–

आंकड़े राजस्थान खान विभाग से वर्ष 2014–15 के है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

01. खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गये रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं, जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं उन्हें खनिज संसाधन कहा जाता है।

02. देश के 96 प्रतिशत खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिण तटीय प्रदेश में स्थित है।

03. भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक तथा अधात्विक खनिज में विभाजित किया जाता है।

04. लोहा आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। विश्व में भण्डार की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्र भारत है।

05. तांबा– भारत में धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायान्तरित चट्टानों की नसों में सल्फाइट तथा चारकापाइराइट अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है। तांबे की कोलिहान खान, मंधान खान, मोसाबानी खान, राखा खान आदि प्रसिद्ध है।

06. भारत में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित होता है। यहां मस्कोवाइट या रूबी अभ्रक तथा बायोराइट या गुलाबी अभ्रक आग्नेय व कायान्तरित चट्टानों से निकाला जाता है।

07. भारत में 95 प्रतिशत सीसा व जस्ता का भण्डार व उत्पादन राजस्थान में चित्तौड़, राजसमन्द, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में होता है।

08. भारत में कोयला गोडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में स्थित है। यहीं पर देश का 98.5 प्रतिशत भण्डार तथा 99 प्रतिशत उत्पादन होता है।

09. पेट्रोलियम पदार्थ– अवसादी चट्टानी भागों में स्पंज की भांति पाये जाने वाला तथा वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है।

10. राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तथा गंगानगर जिलों में 12 ब्लाकों में मिलते हैं।

11. परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम–338 तथा 235, 233, प्लूटोनियम –239 तथा थोरियम, बैरिलियम, जिरकन नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न–

06. भारतीय खनिजों को किन रूपों में वर्गीकृत किया गया हैं?
07. भारत मे ईंधन खनिज कौन कौनसे हैं?
08. खनिज से क्या आशय हैं?
09. भारत में कौन से लौह अयस्क पाये जाते हैं ?
10. राजस्थान में ईंधन खनिज किन जिलों में पाये जाते हैं?
11. भारत में अभ्रक के अयस्क कौन से पाये जाते हैं?
12. परमाणु खनिज कौन कौन से हैं?
13. जीवाश्म खनिज से आप क्या समझते हैं ?

लघूत्तरात्मक प्रश्न–

14. भारत में खनिजों की स्थिति पर प्रकाश डालिए।
15. भारत में बाक्साइड के वितरण के बारे में वर्णन कीजिए।
16. भारत में सीसा जस्ता के वितरण के बारे में वर्णन कीजिए।
17. भारत में अभ्रक के वितरण के बारे में वर्णन कीजिए।
18. भारत में तांबा के वितरण के बारे में वर्णन कीजिए।
19. राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के वितरण के बारे में वर्णन कीजिए।

निबंधात्मक प्रश्न–

01. भारत में लौह अयस्क के वितरण के बारे में वर्णन कीजिए।
02. भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिजों के योगदान पर प्रकाश डालिए।
03. भारत में पेट्रोलियम खनिज के वितरण के बारे में वर्णन कीजिए।
04. भारत में कोयले के वितरण के बारे में वर्णन कीजिए।

05. निम्नांकित को मानचित्र में अंकित कीजिए–
   01. भारत के कोयला क्षेत्र
   02. राजस्थान में प्रमुख खनिज

अध्याय 11

विनिर्माण उद्योग

परिचय–

कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किये गये पदार्थो को रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तन करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है जैसे कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण करना। वर्तमान अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भों में उद्योग महत्वपूर्ण कड़ी है जिससे जहां रोजगार का सृजन होता है वहीं उत्पादन से व्यापार तथा सम्बधित आर्थिक घटकों का विकास होता है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है।

भारत में उद्योग साक्ष्य के रूप में सूती कपड़े ,मिटटी के बर्तन तथा काँसे की मूर्तियाँ सिन्धुसभ्यता में मिलना तथा कुतुबमीनार के पास स्थित जंगरोधी लोह स्तम्भ भारतीय प्राचीन औद्योगिक विकास का द्योतक है। यहाँ तक कि भारत तक धातु , वस्त्र, स्वर्ण आभूषण तथा जहाजरानी जैसे कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकसित स्वरूप के कारण भारत सोने की चिडियां के नाम से विख्यात था परन्तु अंग्रेजी आगमन तथा उनकी दमनपूर्ण नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ की हड्डी कहे जाने वाले कुटीर तथा लघु उद्योगो का नष्ट किया गया ।

भारत में आधुनिक उद्योगों को आरम्भ –

1845 मे सूती वस्त्र के मुम्बई में तथा 1855 में जूट उद्योग की स्थापना से भारत में आधुनिक उद्योगों का आरम्भ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध तक केवल इन्हीं उद्योगों को विकास हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति को जारी किया गया , जिसमें प्रादेशिक असन्तुलन को कम करते हुए नए रोजगारपरक, कृषि व निर्यात आधारित उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, साथ ही धन , कच्चे माल तथा तकनीक की कमी को दूर करके उत्तम श्रेणी व कम लागत उत्पादों का निर्माण करना। योजना आयेाग के माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया। योजना आयेाग ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लौह इस्पात उद्योग , सूती वस्त्र, सीमेन्ट उद्योग, कागज, उद्योग, चीनी उद्योगों का विकास किया गया।

भारत मे लौह इस्पात उद्योग –

यह उद्योग भारत ही नहीं , विश्व में औद्योगिक विकास का आधार स्तम्भ रहा है साथ ही अन्य उद्योगों की जननी कहा जाने वाला उद्योग जिसकी स्थापना भारत में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित हुई। परन्तु वास्तविक शुरूआत जमशेद जी टाटा ने 1907 में सांकची में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी नाम से स्थापित की बाद में 1909 आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कम्पनी से खोला गया। सन् 1936 में कुल्टी व हीरापुर के दोनों कारखानों को मिला कर इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी मे मिला दिए। सन् 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन आफ बंगाल की स्थापना की गई तथा 1953 में इसे इस्को (IISCO) में मिला दिया । इस प्रकार से लौह इस्पात उद्योग की शुरूआत बीसवीं सदी मे होती है।

स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग का विकास विभिन्न पंचवर्षीय येाजनाओ के माध्यम किया गया जिसमे द्वितीय पंचवर्षीय येाजना मे ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुर (पं.बंगाल) में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला (उडीसा) में तथा रूस के सहयोग भिलाई (छतीसगढ) में कारखाने स्थापित किये गये। आरम्भ में इनकी क्षमता 10 लाख टन थी बाद मे इनकी क्षमता बढाकर 16 लाख टन कर दी गई । चौथी पंचवर्षीय योजना में बोकारो (झारखण्ड) में उद्योग स्थापित किया जो कि एशिया का सबसे बड़ा है 1973 में इस उद्योग में गुणात्मक वृद्धि करने के उद्धेश्य से स्टील ओथोरिटी ऑफ इण्डिया अर्थात (SAIL) की स्थापना की गई जो देश के सार्वजनिक क्षैत्र के सभी कारखानों का प्रशासनिक कार्य करता है इसमें तीन और कारखाने विशाखापटनम (आन्ध्रपदेश) सेलम (तमिलनाडु) तथा विजयनगर (कर्नाटक) को शामिल किया गया ।

यह उद्योग कच्चे माल तथा सस्ते परिवहन पर आधारित उद्योग है इस कारण इसकी स्थापना कच्चे माल अर्थात लौह अयस्क , कोयला , मैंगनीज तथा कम परिवहन अर्थात खानों के समीप के क्षेत्रों के समीप होती है भारत में लोह इस्पात उद्योग की निम्न इकाईयाँ स्थापित हैं ।

भारत में लौह इस्पात की इकाईयां

क्रम. सं	इकाई का नाम	स्थान	लौह अयस्क प्राप्ति क्षैत्र	कोयला प्राप्ति क्षैत्र	मैगनीज प्राप्ति क्षैत्र	जल प्राप्ति क्षैत्र	बाजार	उत्पादन क्षमता
1	TISCO	जमशेदपुर	नोआमंण्डी तथा गुरूमहिसानी खानो से	झरिया तथा बोकारो से	क्योझर की जोडा खानो से	स्वर्ण रेखा तथा खारकोइ नदियो से	कोलकता तथा मुम्बई एवम समीप का क्षैत्र	40 लाख टन
2	IISCO	कुल्टी हिरापुर बर्नपुर	सिहभूमि,मयूरभंज ,कौल्हन क्योझर खानो से	रानीगंज ,झरिया तथा रामनगर	उडीसा तथा झारखण्ड	दामोदर तथा सहायक नदियो से	कोलकता एवम समीप का क्षैत्र	16 लाख टन प्रत्येक की
3	VISCO	भद्रावती	केमनगुडडी खानो	स्थानीय लकडी के कोयले से	स्थानीय स्तर पर	भद्रावती नदी	बैगलौर तथा समीप का क्षैत्र	2 लाख
4	राउरकेला इस्पात कारखाना	राउरकेला	सुन्दरगढ तथा क्योझर की खानो से	झारिया तथा तलचर की खानो से	बसापानी तथा बोलानी खानो से	ब्राहमनी नदी से	समीप का औद्योगिक क्षैत्र	11 लाख टन
5	भिलाई इस्पात कारखाना	भिलाई	डल्ली राजहरा की खानो से	कोरबा और करगली खानो से	भण्डारा और बालाघाट की खानो से	स्थानीय स्तर	समीप का औद्योगिक क्षैत्र	35 लाख टन
6	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	दुर्गापुर	नोआमंण्डी तथा गुआ खानो से	झरिया तथा रानीगंज से	क्योझर की जामदा खानो से	दामोदर तथा सहायक नदियो से	कोलकता तथा मु समीप का क्षैत्र	15 लाख टन
7	बोकारो इस्पात कारखाना	बोकारो	क्योझर की किरीबुरू खानो से	झरिया से	क्योझर की खानो से	दामोदर तथा बोकारो नदियो से	कोलकता तथा मु समीप का क्षैत्र	25 लाख टन
8	विशाखापटनम इस्पात कारखाना	विशाखापटनम	बैलाडिला खानो से	दामोदर घाटी	उडीसा तथा छतीसगढ	तटवर्ती भाग से	समीप का औद्योगिक क्षैत्र	3 लाख टन

2015 में भारत विश्वभर में कच्चे लोहा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है जबकि वर्ष 2003 में वह 8वें स्थान पर था। भारत डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन (डी आर आई) या स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्वभर में तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इस्पात क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2 प्रतिशत का योगदान देता है और 6 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं।

सूती वस्त्र उद्योग –

यह उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग रहा है। भारतीय वेदों व सिन्धु घाटी सभ्यता में वस्त्र निर्माण का वर्णन मिलता है। यह ऐसा उद्योग है जिसमे सर्वाधिक रोजगार का सृजन होता है इस कारण यह उद्योग विस्तार, उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में प्रथम है। विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है।

भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया किन्तु यह प्रयास विफल रहा। 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुम्बई में कवास जी डाबर के द्वारा स्थापित की गई। जिसने 1856 में उत्पादन शुरू किया 1861 तक भारत में 12 मिलें खुल चुकी थीं। 1947 तक भारत में 417 मिलें थी जिसमें 3 लाख श्रमिक कार्य कर रहे थे। वर्तमान में इन मिलों की संख्या लगभग 2000 से अधिक हैं जिसमें 40 लाख लोगो का प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। यह उद्योग के सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत भाग प्रदान करता है।

भारत मे इस उद्योग का स्थानीयकरण कपास उत्पादक क्षेत्रों , सस्ते परिवहन व श्रम तथा नम जलवायु वाले भागों में हुआ है इस दृष्टि से निम्न राज्य में विकास हुआ है।

01. महाराष्ट्र–

सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य है। यहां 112 मिलें है

जिसमें सर्वाधिक 54 मिलें मुम्बई में है जिसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा शोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा सतारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव तथा नागपुर में मिलें स्थापित है । यहां की मिलों में पोपलीन मलमल, साड़ी , धोती , चद्दर तथा सूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा बुना जाता है । यहां पर काली मिटटी का पृष्ठप्रदेश तथा समुद्र की नम जलवायु और मुम्बई बन्दरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है यहां पर देश का 39 प्रतिशत सूती वस्त्र का उत्पादन होता है।

02. गुजरात–

सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा बडा राज्य है। यहां 135 मिलें है जिसमें सर्वाधिक 67 मिलें अहमदाबाद में है, जिसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। इसके अलावा सूरत, वडोदरा, भावनगर, पोरबन्दर, राजकोट तथा भरूच में मिलें स्थापित है । यहां पर कपास का पृष्ठप्रदेश, सस्ते श्रमिक पूंजी की उपलब्धता और कान्दला बन्दरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहां पर देश का 35 प्रतिशत सूती वस्त्र का उत्पादन होता है।

03. तमिलनाडु–

दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है यहा 205 मिले है जिसमें सर्वाधिक मिलें कोयम्बटूर में है जिसे सूती वस्त्र के साथ सूती धागों की मिलें भी है। इसके अलावा मदुरै,चेन्नई, पेराम्बूर, तिरूचिरापल्ली, रामनाथपुरम में मिलें स्थापित है। यहां पर समुद्र की नम जलवायु और चेन्नई बन्दरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहां पर देश का 6 प्रतिशत सूती वस्त्र का उत्पादन होता है।

04. मध्यप्रदेश–

यहां 36 मिलें है जिसमें सर्वाधिक इन्दौर, ग्वालियर उज्जैन, देवास, जबलपुर तथा रतलाम में स्थापित है। यहां पर विभिन्न परिवहन मार्गो से जुड़े होने तथा अधिक जनसंख्या से सस्ते श्रमिक के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहां पर देश का 5 प्रतिशत सूती वस्त्र का उत्पादन होता है।

05. पं. बंगाल–

यहां 45 मिलें है जिसमें सर्वाधिक केन्द्रीयकरण हुगली नदी क्षेत्रों में कलकत्ता हुगली हावडा व चौबीस परगना में है। यहां कपास की आपूर्ति अन्य राज्यों से होने के बाद भी स्थानीय मांग अधिक होने से तथा कोलकत्ता बन्दरगाह के कारण, परिवहन मार्गो से जुडे होने तथा अधिक जनसंख्या से सस्ते श्रमिक के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है।

06. राजस्थान–

राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है यहां चम्बल व भाखडा नांगल परियोजनाओं से सस्ती विद्युत तथा हाडौती के पठारी तथा सिचित घग्घर के मैदान से कपास के उत्पादन से भीलवाडा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती मिलें स्थापित है यहां पर नमी बनाए रखने के लिए प्रशीलतकों का प्रयोग किया गया है। यहां देश का 4 प्रतिशत उत्पादन होता है उत्पादन में केवल सूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा बनाया जाता है ।

07. अन्य राज्य में–

उत्तरप्रदेश जो पूर्णतया आयातित कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण कानपुर मुरादाबाद हाथरस वाराणसी, पंजाब में अमृतसर, लुधियाना तथा फगवाडा , कर्नाटका में, बेल्लारी मेसूर बैगलोर, आन्ध्रप्रदेश में, तेलंगाना क्षेत्र की कपास की सुविधा से हैदराबाद, वारगल , गुन्टूर तथा केरल व बिहार में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है।

भारत में सूती वस्त्र उद्योग ने आजादी के पश्चात 12 गुना वृद्धि की है जहां 1947 में 351 करोड वर्ग मीटर का उत्पादन होता था वहीं वर्तमान लगभग 6500 करोड वर्ग मीटर का उत्पादन हो रहा है। परन्तु स्थानीय अधिक मांग अधिक होने के कारण उत्पादन का अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है। इसके बाद शेष भाग को यूरोपीय देशों, अफ्रीका तथा खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है इसके अलावा भारतीय सूती वस्त्र उद्योग निम्न श्रेणी का कच्चा माल, पुरानी मशीनें व कारखाने, कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद तथा उत्पादन से ज्यादा लागत के जैसी समस्याओं से भी ग्रस्त है।

सीमेण्ट उद्योग –

यह एक आधारभूत उद्योग है। इस सीमेण्ट का अविष्कार 1824 में इग्लैण्ड के पोर्टलैण्ड में जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था , इस कारण वर्तमान में उपयोग मे ली जा रही सीमेण्ट को पोर्टलैण्ड सीमेण्ट कहा जाता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेण्ट कारखाना 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया, जिसमे समुन्द्री सीपियो के द्वारा सीमेण्ट बनाई गई थी किन्तु यह प्रयास भी विफल रहा। 1914 में पहला भारतीय सीमेण्ट कारखाना गुजरात के पोरबन्दर में इण्डियन सीमेण्ट कम्पनी के द्वारा स्थापित किया गया है, इसी समय राजस्थान में लाखेरी (किलिक निक्सन कम्पनी के द्वारा) , मध्यप्रदेश (खटाउ कम्पनी के द्वारा) में सतना में गुजरात के पोरबन्दर (टाटा एण्ड संस कम्पनी के द्वारा) कारखाने स्थापित हुए थे। उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में इस उद्योग का दूसरा स्थान है। विश्व में भी उत्पादन दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा बडा देश है। इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल व सस्ते परिवहन भागों में हुआ है क्योंकि एक टन सीमेण्ट बनाने के लिए 1.6 चूना पत्थर, 0.38 टन जिप्सम तथा 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। निम्न

राज्यों में इस उद्योग का विकास हुआ है –

1. राजस्थान –

सीमेण्ट उत्पादन में प्रथम राज्य है। राजस्थान में सीमेण्ट उद्योग को आगाज 1912–13 में लाखेरी में स्थापना से होता है इसका केन्दीयकरण निम्बाहेडा, चितौड़गढ़, कोटा, बून्दी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी में पाया जाता है इसके अलावा उदयपुर नागौर, पाली, सिरोही में भी है राज्य में 16 बड़ी तथा 5 मध्यम तथा 130निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं। सीमेण्ट की 06 बड़ी इकाईयां चितौडगढ जिले में है इस कारण इसे राज्य की सीमेण्ट नगरी कहा जाता है। राजस्थान राज्य देश के कुल उत्पादन का 16 प्रतिशत भाग है । राज्य में 90 प्रतिशत पोर्टलैण्ड सीमेण्ट तथा 10 प्रतिशत सफेद सीमेण्ट का निर्माण किया जाता है। राज्य में सफेद सीमेण्ट के कारखाने गोटन (नागौर) तथा खारिया खंगार (जोधपुर) में है। राजस्थान में सीमेण्ट के जे.के.सीमेण्ट, मंगलम सीमेण्ट, बिनानी सीमेण्ट, जे.के.लक्ष्मी सीमेण्ट के कारखाने है।

2. मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ –

सीमेण्ट उत्पादन में दोनों राज्य अग्रणी है यहां से देश के कुल उत्पादन का 22 प्रतिशत है यहां केमूर की पहाड़ियां से कच्चा माल मिल जाता है। सर्वाधिक 17 बडे कारखाने कटनी, सतना, दुर्ग, मंधार, बनमोर, नीमच, रतलाम, देवास, नागदा अकलतारा, जामुल तिल्दा तथा मेहर में हैं।

3. गुजरात–

सीमेण्ट उत्पादन में चौथा राज्य है। यहां सीमेण्ट की 16 बडी इकाईयां है। यहां पर देश का 9.4 प्रतिशत सीमेण्ट उत्पादन होता है। यहां पर अहमदाबाद, भावनगर, पोरबन्दर, राजकोट, ओखा, वेरावल, जामनगर, द्वारका में कारखाने स्थापित है। यहां पर सीमेण्ट समुद्री सीपियों, सस्ते श्रमिक पूंजी की उपलब्धता और कान्दला बन्दरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है।

4. तमिलनाडु–

सीमेण्ट उत्पादन में राज्य अग्रणी है। यहां तमिलनाडु के पठार से कच्चा माल मिल जाता है। सर्वाधिक बड़े कारखाने तिरूनवेली, डालमियापुरम, तलायथू, शंकरदुर्ग, राजमलायम मदंकराची ,आत्यिआलर में है।

5. अन्य राज्य–

उतरप्रदेश व झारखण्ड जो कि 4.8 तथा 4.4 प्रतिशत देश का उत्पादन करता है यहां पर चुर्क, चोपन, चुनार , डाला तथा झारखण्ड में पटंल, सिन्द्री में कारखाने हैं। कर्नाटक में पश्चिमी घाट तथा कर्नाटक पठार के कारण भद्रावती, बागलाकोट, बैगलोर बीजापुर गुलबर्गा, आन्ध्रपदेश में तेलगाना व रायलसीमा क्षेत्र की कच्चे माल की सुविधा से हैदराबाद, वारगल, आदिलाबाद

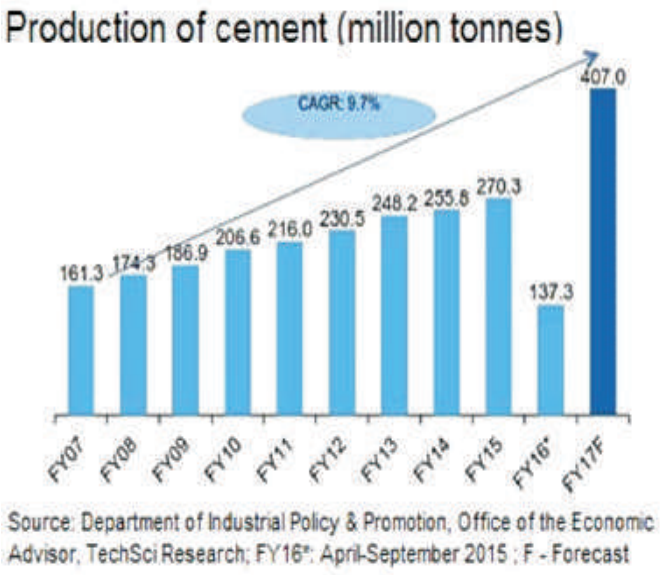

Source: Department of Industrial Policy & Promotion, Office of the Economic Advisor, TechSci Research; FY16*: April-September 2015 ; F - Forecast

विजयवाडा कृष्णा नलकोण्डा में तथा केरल व बिहार में स्थापित है।

भारत में आजादी के समय सीमेण्ट के 23 कारखाने थे जिसमे 05 पाकिस्तान में चले गये जिसकी उत्पादन क्षमता 21.15 लाख टन थी। वहीं वर्तमान में लगभग 124 बड़े तथा 300 छोटे कारखाने है, जिससे 2250 लाख टन का उत्पादन हो रहा है । परन्तु स्थानीय अधिक मांग के कारण अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है। इसके बाद शेष भाग को पुर्वी एशिया तथा अफ्रीकी देशों को निर्यात किया जाता है।

कागज उद्योग –

यह भारत का प्राचीन कुटीर उद्योग रहा है। भारतीय ऋषि मुनियो के द्वारा दिये गये ज्ञान को भोजपत्रों तथा हस्तनिर्मित कागज पर संरक्षित किया गया। यह ऐसा उद्योग है जिसमें कृषि तथा पेड़ों के अवशिष्ट से लुग्दी बना कर कागज तैयार किया जाता है। भारत में 70 प्रतिशत कागज गन्ने की खोई से बनता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना श्रीरामपुर में लगाया गया। इसके बाद 1810 से 1867 में मद्रास व हुगली में खोला गया किन्तु यह प्रयास विफल रहा 1879 में पहली भारतीय मिल लखनऊ में इण्डियन पेपर मिल के नाम स्थापित हुई। 1881 में टिटागढ पेपर मिल की स्थापना हुई। आजादी के समय 17 कारखाने थे जिसकी उत्पादन क्षमता 19000 टन थी। वर्तमान में लगभग 800 बड़े व छोटे कारखाने है, जिनमें 128 लाख टन का उत्पादन हो रहा है । इस उत्पादित माल का 65 प्रतिशत भाग अखबारी कागज तथा शेष अन्य कार्यो के लिए किया जाता है। देश में इस उद्योग का स्थानीयकरण निर्माण सामग्री के प्राप्ति क्षेत्रों, सस्ते परिवहन वाले भागों में हुआ है इस दृष्टि से निम्न राज्यो में

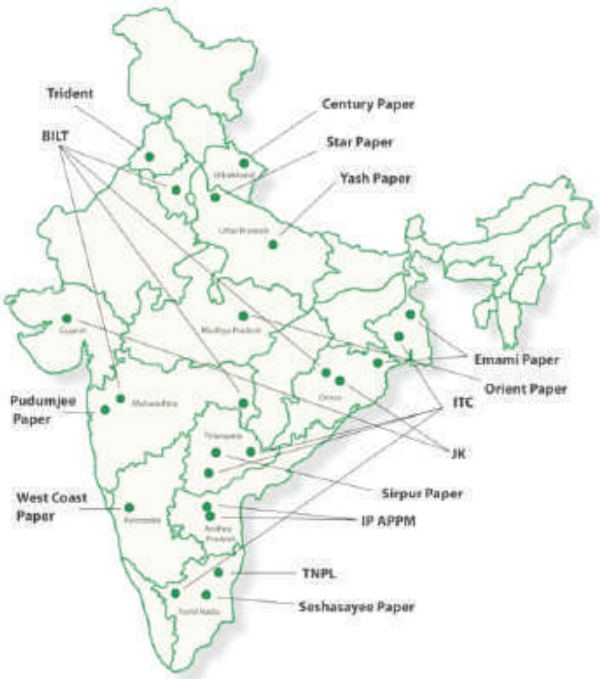

भारत में कागज मीलों की स्थिति

01. पं. बंगाल में टीटागढ , रानीगंज , त्रिवेणी , कोलकता
02. महाराष्ट्र में मुम्बइ पुना चन्द्रपुर खपोली पिपरी तथा काम्पटी में
03. उत्तरप्रदेश में लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफरनगर, पंतनगर, बस्ती
04. मध्यप्रदेश में भोपाल, रीवा, होसगाबाद, कमलाई
05. कर्नाटक में भद्रावती, बैंगलोर, रामनगर, कृष्णराजसागर
06. गुजरात में सूरत, वापी, बडोदरा, राजकोट में विकास हुआ है।

देश का अखबारी कागज नेपानगर, मध्यप्रदेश तथा होसंगाबाद में नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना है। देश में स्थानीय अधिक मांग के कारण अधिकाश भाग देश में खपत हो जाता है तथा अन्य देशों से भी आयात करना पड़ता है।

औद्योगिक प्रदूषण–

विनिर्माण उद्योग जहां देश के आर्थिक तंत्र में विकास मे सहायक है वही देश में ऐसी परिस्थितियो को जन्म देते है जो मानव सभ्यता तथा प्रकृति में के विनाश में सहायक रहे है देश में जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ वहा नगरीयकरण भी तीव्र गति से हुआ जैसे दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, नागपुर सूरत। इन नगरों जल तथा वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च है। देश में केन्द्रीय जल मल नियामक बोर्ड के मतानुसार गंगा तथा उसकी सहायक यमुना के किनारे स्थित चमड़ा, कागज, खाद, रसायन तथा औषधि उद्योगों के अपशिष्ट के कारण बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी हैं। इसी प्रकार गोमती नदी लखनउ के समीप कागज तथा गन्ना उद्योग के अपशिष्ट के कारण अत्यधिक विषाक्त हो चुकी है कि अक्सर मछलिया मरी हुई पायी जाती है एक अध्ययन के मुताबिक देश में 30 प्रतिशत महानगरीय जनसंख्या सांस की

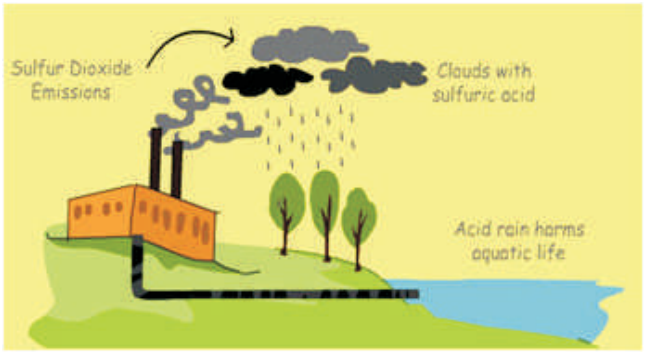

औद्योगिक अपशिष्ट का पर्यायवरण पर प्रभाव

बीमारियां से ग्रसित हो रही है। ये सभी बीमारिया वायु में हानिकारक विषैलै तत्वों कार्बन, शीशा, सल्फर व अन्य कारक , नाइट्रोजन व आक्सीजन के साथ क्रिया करके मानव शरीर तथा मृदा तथा जल पर हानिकारक प्रभाव डालते है जिससे मानव में विभिन्न भयानक बीमारियों जैसे कैन्सर ,रक्त तथा चमडी सम्बधी बीमारियों को जन्म देती है ।

औद्योगिक अपशिष्ट जल तथा वायु के माध्यम से समुद्री भागों में पहुंच कर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है जिससे भोजन श्रृंखला प्रभावित होती है और समुद्री जीव जन्तु तथा वनस्पति मरने लगते है। समुद्री जहाजों के अपशिष्ट का निस्तारण , समुद्रों में तेल टेकरों से होने वाली दुर्धटनाएं, समुद्रों में तेल का निकालना और तटों के समीप शोधन करना तथा परमाणु बम्ब के परिक्षण ऐसे कार्य हैं जो समुद्री जल को प्रदूषित कर रहे हैं।

भारत में हर आठ में से एक पक्षी लुप्त होने के कगार पर है क्योंकि औद्योगिकरण व परिवहन के साधनों तथा मार्गो से इनके प्राकृतिक आवास तथा भोजन के स्त्रोत समाप्त होते जा रहे है। इसी प्रकार नगरों में वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा तथा गन्दे जल को प्रवाहित करने से भूमि में विषैले तत्वों के मिलने से उर्वरकता में कमी हो रही है साथ ही तापमान में वृद्धि से सदावाहिनी नदियों के जल स्त्रोत गंगोत्री, यमुनोत्री सुखने के कगार पर है।

यदि औद्योगिकरण का यही रूप रहा तो वो दिन दूर नहीं कि मानव विभिन्न बिमारियों से ग्रसित होकर अकाल, सूखे तथा बाढ जैसी आपदाओं से झूझता नजर आएगा तथा आगामी पीढ़ियों मे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अतः हमें सवंर्धित तथा सुविकसित औद्योगिकरण विकास का मार्ग अपनाना होगा ।

राजस्थान में औद्योगिकरण –

राजस्थान औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों से पिछडा राज्य है। इसका देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 6 प्रतिशत योगदान है तथा राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में उद्योगों का 30 प्रतिशत येागदान है। यहां पर अधिकांश उद्योग खनिज तथा कृषि आधारित है जो कि राजस्थान के अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाडा, राजसमन्द, कोटा, बारां, अजमेर तथा पाली जिलों में केन्द्रित है। रत्न, आभूषण, संगमरमर उद्योग, सीमेण्ट उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग तथा तिलहन उद्योग में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है।

राजस्थान के प्रमुख उद्योग

01. सीसा जस्ता उद्योग–

राजस्थान की अरावली पर्वत में देश में सर्वाधिक सीसे जस्ते के भंडार होने के कारण यह उद्योग जावर, देबारी (उदयपुर) तथा चंन्देरिया (चितौड़) राजपुरा दरीबा तथा रामपुरा दरीबा में स्थापित है। ये उद्योग खानों के पास ही स्थापित हैं। शेष कच्चा माल पुर बनेडा, चौथ का बरवाडा , गुढा किशोरीदास से मंगाया जाता है इन उद्योगों से देश के उत्पादन 95 प्रतिशत राजस्थान से जाता है।

02.सीमेण्ट उद्योग–

राजस्थान सीमेण्ट उत्पादन में प्रथम है। राजस्थान में सीमेण्ट उद्योग की शुरूआत 1912–13 में लाखेरी से हुई। इसका केन्दीयकरण निम्बाहेड़ा चितौड़गढ़, कोटा, बून्दी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी में पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी है। राज्य में 16 बड़ी तथा 5 मध्यम तथा 130 निजी क्षेत्र की इकाइयां है। सीमेण्ट की 06 बड़ी इकाईयां चितौड़गढ़ जिले में है इस कारण इसे राज्य की सीमेण्ट नगरी कहा जाता है। देश के कुल उत्पादन का 16 प्रतिशत भाग राजस्थान में होता है । राज्य में 90 प्रतिशत पोटलैण्ड सीमेण्ट तथा 10 प्रतिशत सफेद सीमेण्ट का निर्माण किया जाता है ।

03. हस्तशिल्प उद्योग –

रत्न तराशने तथा आभूषणों का निर्माण कार्य जयपुर, प्रतापगढ व नाथद्वारा, मूर्ति तथा कलात्मक सामान जयपुर जोधपुर, उदयपुर में, लाख का सामान व चूड़ियां जयपुर तथा जोधपुर, रंगाई व छपाई तथा बन्धेज उद्योग बाड़मेर पाली व सागानेर मे, चमडे का सामान जोधपुर, जयपुर, अजमेर तथा बाडमेर में किया जाता है ।

04. मारबल उद्योग –

राजस्थान में उच्च श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। इस कारण मकराना, सिरोही, राजनगर, चितौड़, उदयपुर, किशनगढ में संगमरमर के कटाई, पोलिश व घिसाई करने की इकाइयां लगी है।

05. नमक व रसायन उद्योग –

राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों तथा खारे पानी की झीलो से नमक बनाने को कार्य प्राचीन समय से हो रहा है। देश के सबसे बडी खारे पानी की झील सांभर देश सर्वाधिक नमक उत्पादित करती है। इसके अलावा डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना, पचपदरा में मैग्नेशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है ।

06. ऊन उद्योग–

देश की सर्वाधिक भेड़ तथा ऊन सम्बधित पशुओं का पालन राजस्थान में किया जाता है। इस कारण स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ऊनी कम्बल तथा नमदे बनने का कार्य बीकानेर, जोधपुर, बाडमेर व पाली में किया जाता है।

07. सूती वस्त्र उद्योग–

राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है। यहां चम्बल व भाखड़ा नांगल परियोजनाओं से सस्ती विद्युत तथा हाडौती के पठारी तथा सिंचित घग्घर के मैदान से कपास के उत्पादन से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती वस्त्र मिलें स्थापित है यहां पर कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यहां देश का 4 प्रतिशत उत्पादन होता है। उत्पादन मे सूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा प्रमुखता से बनाया जाता है ।

08. तिलहन उद्योग–

देश के तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। इस कारण मूंगफली , सरसो , सोयाबीन , अलसी , अरण्डी के तेल को निकालने की इकाईयां भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा बून्दी में स्थापित है।

09. अन्य उद्योग में –

चीनी उद्योग बूंदी, चितौड़, भीलवाडा में, ग्वार गम उद्योग चुरू, जोधपुर, बाडमेर, कागज उद्योग घोसूण्डा, कोटा भीलवाड़ा, उदयपुर, बासवाड़ा में स्थापित है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

01. कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किये गये पदार्थो के रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव के लिए उपयोग हेतु बहुआयामी रूप में परिवर्तन करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है।

02. भारत में औद्योगिक विकास का आधारस्तम्भ तथा अन्य उद्योगों की जननी कहा जाने वाला उद्योग लौह इस्पात उद्योग है।

03. भारत में पंचवर्षीय योजना में ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुर (पं. बंगाल) में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला (उडीसा) में रूस के सहयोग भिलाई (छतीसगढ) में कारखाने स्थापित किये गये।

04. भारत में लौह इस्पात का बोकारो (झारखण्ड) में कारखाना स्थापित है जो कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है।

05. भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के फार्ट ग्लास्टर में खोला गया, किन्तु यह प्रयास विफल रहा 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुम्बई में कवास जी डाबर के द्वारा स्थापित की।

06. महाराष्ट्र– सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य है यहां 112 मिलें है जिसमें सर्वाधिक 54 मिलें मुम्बई में है जिसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है ।

07. सीमेण्ट का आविष्कार 1824 में इग्लैण्ड के पोर्टलैण्ड में जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था, इस कारण वर्तमान में उपयोग मे ली जा रही सीमेण्ट को पोर्टलैण्ड सीमेण्ट कहा जाता है।

08. राजस्थान में सूती वस्त्र के निर्माण में कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है।

09. देश का अखबारी कागज नेपानगर मध्यप्रदेश तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना है।

10. राज्य में सफेद सीमेण्ट का कारखाना गोटन (नागौर) में है।

11. राज्य में देश में रत्न आभूषण, संगमरमर उद्योग, सीमेण्ट उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग तथा तिलहन उद्योग में देश में प्रथम स्थान रखता है।

अभ्यास प्रश्न

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

01. भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्राचीनतम प्रमाण कौन सा है ?

02. भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ तथा कब स्थापित हुआ है ?

03. विनिर्माण उद्योग से क्या आशय है ?

04. भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया था?

05. राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग किन जिलों में है ?

06. भारत में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है ?

07. भारत में सीसा व जस्ता उद्योग किन राज्यों में स्थापित है ?

08. पूर्व का बोस्टन के नाम से किसे पुकारा जाता है ?

09. मेग्नेशियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फेट के कारखाने कहाँ पर है ?

लघूत्तरात्मक प्रश्न–

10. भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास पर प्रकाश डालिए ?
11. भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास पर प्रकाश डालिए ?
12. भारत में सीमेण्ट उद्योग के विकास पर प्रकाश डालिए ?
13. भारत में कागज उद्योग के वितरण पर प्रकाश डालिए ?
14. राजस्थान में सीमेण्ट उद्योग के विकास पर प्रकाश डालिए ?
15. राजस्थान में औद्यागिक विकास पर प्रकाश डालिए ?

निबंधात्मक प्रश्न–

01. भारत में लौह इस्पात उद्योग के वितरण तथा उत्पादन प्रकाश डालिए?
02. भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण पर वर्णन कीजिए?
03. भारत में औद्योगिक प्रदूषण का वर्णन कीजिए?
04. राजस्थान के प्रमुख उद्योगों का वर्णन कीजिए?